

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2022—अग्रहायण 4, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-194-2022-5-एक.—श्री दिलीप कुमार कापसे, भाप्रसे (2014), मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-416-2019-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 36-01-2022-EO(SM-I)(3), दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के अनुक्रम में डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की सेवाएं भारत सरकार में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पद पर नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-198-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमाने रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष राजस्व मंडल

2. उक्त आदेश श्री बर्णवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-1-198-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जे. एन. कांसोटिया (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	अपर मुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मण्डल
2.	श्री अजीत केसरी (1990), महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	

क्र. ई-1-199-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अभिजीत अग्रवाल (2010), प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश, भोपाल एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार)	-
2.	श्री सुरेश कुमार (2010), प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर.	सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	-
3.	श्री अंशुल गुप्ता (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.	-

क्र. ई-1-107-2022-5-एक.— भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 18-12-2022-EO(SM-I), दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के अनुक्रम में श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे (2007) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की सेवाएं भारत सरकार में निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2022

क्र. एफ-5-03-2022-एक (1).— माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती नंदिता दुबे, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4529-(दो-1-15-16) दिनांक 19 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 9 सितम्बर 2022 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ-5-24-2021-एक (1).— माननीय न्यायाधिपति, श्री अरुण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से

प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4609-(दो-1-22-2021) दिनांक 21 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2022 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 नवम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ-5-13-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4723-(दो-2-34-2014) दिनांक 27 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 29 मई से 10 जून 2022 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 Esst (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है।

क्र. एफ-5-09-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. बी-4533-(दो-1-10-2022), दिनांक 20 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 19 से 26 जुलाई 2022 तक, आठ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2022

क्र. 1505-114-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 27 से 28 अक्टूबर 2022 तक (कुल दो दिवस) का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. 935634-2022-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार,

पु. मु. भोपाल को दिनांक 9 से 18 नवम्बर 2022 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 08 व 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2022

क्र. 925254-2022-ब-2-दो.—श्री अनिल कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को मिड-केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (MCTP) में (Mentor) के रूप में सम्मिलित होने हेतु नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 30 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2022 तक London (U.K.) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त श्री अनिल कुमार, भापुसे को दिनांक 14 से 18 नवम्बर 2022 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 व 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित U.K. एवं तुर्की की विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

5. उक्त यात्रा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप क्र. 19036/2-2016/ई. iv, दिनांक 26 अक्टूबर 2016 की कंडिका-3 अनुसार होटल प्रभारों/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान जैसा कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं होगा.

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री आलोक रंजन, भापुसे, अमनि (प्रबंध), पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. 924967-2022-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 9 से 18 नवम्बर 2022 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 08 व 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए) 137-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे-10, पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 25 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2022 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर के अन्तर्गत छपरा (बिहार) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री मनोज कुमार सिंह | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती विनिता सिंह | - | पत्नी |

(2) श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में कार्य प्रभार श्री सखाराम सेंगर, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 155-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे-92, अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) में दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2022 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत शिमला (हिमाचल प्रदेश) जाने हेतु

परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

1. श्री राजेश गुप्ता - स्वयं
2. श्रीमती मोनिका गुप्ता - पत्नी

(2) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में कार्य प्रभार श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अमनि. (महिला सुरक्षा शाखा), पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2022

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0066-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3007-टी सी-94-दमोह-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	नजूलशीट क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह	62,67,68	158/5	कुल रकबा 2.874 (7.10 एकड़) में से 0.458941 हेक्टेयर	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
योग				कुल रकबा 2.874 (7.10 एकड़) में से 0.458941 हेक्टेयर		

नोट—

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर प्रस्तावित है. अतः मार्ग मध्य से 12.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है.
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

शर्तें—

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे.
3. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. यूडीएच-3-0070-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2988-टी सी-95-दमोह-उपां-नगानि-2022, भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	नजूलशीट क्रमांक (3)	प्लॉट क्रमांक (4)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर) (5)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (6)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (7)
1	दमोह	48-57	197	कुल रकबा 0.445316 में से 0.414498 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग.	मिश्रित एवं मार्ग

योग . . कुल रकबा 0.445316 में से
0.414498 हेक्टेयर

नोट—

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर प्रस्तावित है. अतः मार्ग मध्य से 12.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है.
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

शर्तें—

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे.
3. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. यूडीएच-3-0071-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3293-टी सी-116-भोपाल-उपां-नगानि-2022, भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्र. (1)	ग्राम (2)	खसरा क्रमांक (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
1	लांबाखेड़ा तह. हुजूर जिला भोपाल.	267	1.2210	कृषि	आवासीय

योग . . 1.2210

नोट —

1. भूमि के उत्तर दिशा स्थित विद्यमान वर्तमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगा.
3. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. यूडीएच-3-0072-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 3120-टी सी-106-छिन्दवाड़ा-उपां-नगानि-2022, भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लोनियाकरबल, तह. छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा	153	0.8940	यातायात (बस डिपो) वाणिज्यिक एवं मार्ग.	मिश्रित एवं मार्ग
			योग . . . 0.8940		

नोट—

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 36.00 मीटर प्रस्तावित है. अतः मार्ग मध्य से 18.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

शर्तें—

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियाँ हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.
3. उपरोक्त उपांतरण छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. यूडीएच-3-0086-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 3002-टी सी-92-भोपाल-उपां-नगानि-2022, भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अचारपुरा	369/2/1	16.990 हेक्टेयर में से 4.00 हेक्टेयर	कृषि	औद्योगिक एवं मार्ग
योग . .			16.990 हेक्टेयर में से 4.00 हेक्टेयर		

नोट—

1. स्थल के उत्तर दिशा में स्थित विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. यूडीएच-3-0069-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि.क.अ.-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 3187-टी सी-115-भोपाल-उपां-नग्रां-2022, भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पीपलनेर, तह. हुजूर, जिला भोपाल.	139/2	1.571 हेक्टेयर में से 0.152 हेक्टेयर	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		140/2	0.607 हेक्टेयर में से 0.568 हेक्टेयर		
योग . .			2.178 हेक्टेयर में से 0.720 हेक्टेयर		

नोट—

1. भूमि के दक्षिण दिशा स्थित विद्यमान आसाराम बापू चौराहे से नरसिंगढ़ की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर रखना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा.
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगा.
3. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियाँ हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी.
4. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2022

क्र. एफ-1-8-22-रा.स.-यू.ए. 1-1499.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 15 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, एतद्वारा, डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा, पूर्व निदेशक, (विस्तार सेवाएं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय), 82, न्यू राम नगर, आधारताल, जबलपुर-482004 (मध्यप्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 10 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2022

क्र. एफ-1-6-22-रा.स.-यू.ए. 1-1536.—डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 (क्रमांक 02, सन् 2016) की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 05 की कण्डिका 2.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. प्रो. टी. आर. थापक,
कुलपति,
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर (मध्यप्रदेश). | समिति के
अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा
नामांकित |
| 2. प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल,
कुलपति,
महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी
विश्वविद्यालय,
वर्धा (महाराष्ट्र). | समिति के
सदस्य | अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग द्वारा नामांकित |
| 3. प्रो. प्रकाशमणि त्रिपाठी,
कुलपति,
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय
विश्वविद्यालय,
अमरकंटक (मध्यप्रदेश). | समिति के
सदस्य | विश्वविद्यालय की
कार्यपरिषद् की ओर
से कुलाधिपतिजी द्वारा
नामांकित |

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. टी. आर. थापक, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-272-2022-रा.स.-यू.ए. 1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर के आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण

विन्ध्याचल भवन, भू-तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. 1110(2)-फा. दो-22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम 34(2) ख के अनुसारण में, एतद्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 के कैलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक कुल पाँच दिवस शीतकालीन विश्रामावकाश पर रहेंगे.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
अरविंद प्रताप सिंह चौहान, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

नस्ती क्र.-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2022-23.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के पत्र क्रमांक 2435-कार्य-आवंलिया म. परि.-2022-खण्डवा, दिनांक 26 सितम्बर 2022 के द्वारा जल संसाधन संभाग, खण्डवा अंतर्गत निर्माणाधीन आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में वन ग्राम सरमेश्वर के पट्टाधारकों का भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया है। साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा.-2ए-दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में, वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	सरमेश्वर वन ग्राम	36.042	खण्डवा जिले के अंतर्गत भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के भाम बांध निर्माण कार्य हेतु वत क्षेत्र सरमेश्वर में डूब प्रभावित पट्टेधारियों की वन भूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित होने से प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	सरमेश्वर वन ग्राम	36.042	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, खण्डवा	खण्डवा जिले के अंतर्गत भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के भाम बांध निर्माण कार्य हेतु वत क्षेत्र सरमेश्वर में डूब प्रभावित पट्टेधारियों की वन भूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र. 0002-अ-82-2022-23.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के पत्र क्रमांक 2433-कार्य-आवंलिया म. परि.-2022-खण्डवा, दिनांक 26 सितम्बर 2022 के द्वारा जल संसाधन संभाग, खण्डवा अंतर्गत निर्माणाधीन आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में वन ग्राम आवंलिया के पट्टाधारकों का भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया है. साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा.-2ए-दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में, वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	आवंलिया वन ग्राम	34.726	खण्डवा जिले के अंतर्गत आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के आवंलिया बांध निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र आवंलिया (रिजर्व फारेस्ट) में डूब प्रभावित पट्टेधारियों की वन भूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र. 0002-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित होने से प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	आवंलिया वन ग्राम	34.726	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, खण्डवा	खण्डवा जिले के अंतर्गत आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के आवंलिया बांध निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र आवंलिया (रिजर्व फारेस्ट) में डूब प्रभावित पट्टेधारियों की वनभूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 22 अगस्त 2022

क्रमांक-73-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नंबर (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	बिठली	0.496	पुलिस चौकी बिठली के भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि

अनुसूची-2

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	64/2, 65, 66	1.040	0.486	सुधीर कुमार पिता शिखरचंद जैन जाति जैन निवासी बालाघाट, भूमिस्वामी (बिठली)
2	59/2	0.406	0.010	सुरेन्द्रसिंह व. चैनसिंह व. कौडू जाति गोंड सा. देह
योग :		1.446	0.496	

- (2) चूंकि पुलिस चौकी बिठली के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक-74-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नंबर (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	गढ़ी	0.061	ग्राम गढ़ी अनुसूचित जनजाति सौनियर बालक छात्रावास भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.

अनुसूची-2

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	116/1	0.061	0.061	कमलियाबाई पति स्व. टेकसिंह (सहखातेदार शिमला बाई, उदयसिंह, पिता टेकसिंह) निवासी गढ़ी.
योग :		0.061	0.061	

- (2) चूंकि अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास भवन गढ़ी के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्रमांक-75-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नंबर (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	बैहर	जता रै.	0.796	पद्दीनाला लघु जलाशय निर्माण

अनुसूची-2

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	15/2	5.338	0.352	छबीलाल वल्द चर्तुभुज जाति गोंड निवासी मलाजखण्ड
2	12/10	0.405	0.084	दुर्गाप्रसाद वल्द फुलचन्द जाति मरार सा. देह. भूमिस्वामी
3	12/11	0.405	0.090	बालचन्द वल्द पलटन वगैरह
4	12/12	0.547	0.270	जीवनलाल वल्द लक्सी जाति गोवारा सा. देह. भूमिस्वामी.
योग :			0.796	

- (2) चूंकि पद्दीनाला लघु जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्रमांक-76-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नंबर (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	बैहर	सिजोरा	1.856	बैजलपुर लघु जलाशय निर्माण

अनुसूची-2

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2/2	1.545	1.323	सन्तनसिंह वल्द जेटू जाति गोंड निवासी बैजलपुर.
2	5/3	0.405	0.080	लालसिंह वल्द पूरनसिंह जाति गोंड निवासी बैजलपुर.
3	5/8	0.405	0.226	धनीराम वल्द ब्रजलाल जाति गोंड निवासी बैजलपुर.
4	5/7	0.405	0.030	फगनसिंह वल्द ब्रजलाल जाति गोंड निवासी बैजलपुर.
योग :			1.659	

नहर पूरक भू-अर्जन ग्राम सिजोरा प. ह. नं. 52

5	46/3	1.619	0.145	मथुरा वि. हीरालाल, भगताराम, सन्तन सिंह, मिलनसिंह वल्द हीरालाल जाति गोंड निवासी सरईटोला.
6	46/5	0.405	0.052	कोपसिंह वल्द फन्दी जाति गोंड निवासी सिजोरा.
योग :			0.197	
कुल योग :			1.856	

- (2) चूंकि बैजलपुर जला. के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 02 नवम्बर 2022

क्र. 6894-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-03-2017-18-लघु.सि.-31-1358, भोपाल, दिनांक 19 जून 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-कुकडीखापा प.ह.नं.-64 ब. नं.-47 रा.नि.मं.- पांडुर्णा.	रकबा-14.856 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.	डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 6895-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-03-2017-18-लघु.सिं.-31-1358, भोपाल, दिनांक 19 जून 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत “सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-करव्हार प.ह.नं.-63 ब. नं.-36 रा.नि.मं.- पांडुर्णा.	रकबा-01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.	डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 नवम्बर 2022

प्र. क्र. 07-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) बनहरीकलां	(4) निजी भूमि कुल रकबा 12.00 हे. शासकीय भूमि-00	(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई.	(6) मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का पूरक प्रस्ताव ग्राम बनहरीकलां तह. व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना (म. प्र.)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) बनहरीकलां	(4) निजी भूमि स्थित-2 मकान क्षेत्रफल 105.61 वर्गमी. एवं शासकीय भूमि स्थित-4 मकान क्षेत्रफल 794.36 कुल मकान-06 कुल क्षेत्रफल 899.97 वर्ग मी.	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई.	मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान का प्रस्ताव ग्राम बनहरीकलां तह.व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना (म. प्र.)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) कुंवरपुर	(4) निजी भूमि पर स्थित-4 मकान क्षेत्रफल 241.99 वर्ग मी. एवं शासकीय भूमि पर स्थित-348 मकान क्षेत्रफल 25952.42 वर्ग मी. कुल 352 मकानों का क्षेत्रफल 26194.41 वर्ग मी.	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई.	मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान का प्रस्ताव ग्राम कुंवरपुर तह.व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना (म. प्र.)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 20 जून 2022

पत्र क्र. 280-भू-अर्जन-2022-प्र. क्र. 01-अ-82-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—उदयपुरा
(ग) ग्राम—मोहड़ कलां एवं केतोघान
(घ) भूमि का क्षेत्रफल—0.368 हेक्टेयर.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
416	1.218	0.190
199/1/2	2.834	0.038
199/2	2.241	0.140

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:—लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम मोहड़ कलां एवं केतोघान तहसील उदयपुरा.
(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बरेली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश
एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
विभाग

ग्वालियर, दिनांक 16 नवम्बर 2022

प्र. क्र. 02-अ-82-22-23-भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—सिटी सेन्टर
(ग) ग्राम—औहदपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.807 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
266	0.575
270	0.042
304	0.042
267	0.074
268	0.064
272	0.010
योग	0.807

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:—निर्माणाधीन नवीन जिला न्यायालय भवन ग्वालियर में ज्यूडिशियल कॉम्प्लैक्स एवं प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन
(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलैन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

पृ.क्र.-07-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-22-5749

सागर, दिनांक 29 जुलाई 2022

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बांध निर्माण
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : रहली
 3. ग्राम : मड़खेड़ा
 4. पट.ह.नं. :
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 84.44 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

क्र. स.	नाम भूमि स्वामी/पिता- पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित ख. नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा हे. में.	शेष रकवा	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजाराम पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	2/1/1	0.20	0.20	0.00	
			2/3/4	0.12	0.12	0.00	
2	मलखान पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/1/2	0.60	0.60	0.00	
3	अवतार पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/1/3	0.60	0.60	0.00	
4	राममिलन पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/1/4	0.20	0.20	0.00	
5	सूरतसींग पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	2/2	1.62	1.62	0.00	
6	प्रहलाद पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/3/1	0.60	0.60	0.00	
7	यशवंत पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/3/2	0.30	0.30	0.00	

8	आकाश पिता सुखदेव 20/60 भाग, धर्मेन्द्र पिता सुखदेव 20/60 भाग, बाई पत्नी सुखदेव	भूमिस्वामी	2/3/3	0.60	0.60	0.00	
9	रगवीर पिता छुट्टी	भूमिस्वामी	3/1/1	0.64	0.64	0.00	
10	मगवानसींग पिता छुट्टी	भूमिस्वामी	3/1/2	0.63	0.63	0.00	
11	सीताराम पिता छुट्टी	भूमिस्वामी	3/1/3	0.63	0.63	0.00	
12	कैलाश पिता छुट्टी	भूमिस्वामी	3/1/4	0.63	0.63	0.00	
13	शेरसींग पिता बुद्धसींग	भूमिस्वामी	3/2	0.80	0.80	0.00	
14	राघव पिता रमेश	भूमिस्वामी	3/3	1.60	1.60	0.00	
15	यशवंत पिता राजाराम	भूमिस्वामी	5/1	0.30	0.30	0.00	
16	देवेन्द्र पिता बहादुर	भूमिस्वामी	5/2	0.72	0.72	0.00	
17	राममिलन पिता राजाराम	भूमिस्वामी	5/3	0.40	0.40	0.00	
18	सूरतसींग पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	5/4	0.71	0.71	0.00	
19	सियारानी बेवा छुट्टी 13/57 भाग, सेवत पुत्री छुट्टी 11/57 भाग, भागवाई पुत्री छुट्टी 11/57 भाग, पोथीबाई पुत्री छुट्टी 11/57 भाग, मुलाबाई पुत्री छुट्टी 11/57 भाग	भूमिस्वामी	6	0.57	0.57	0.00	
20	रामप्यारे पिता कड़ोरीलाल	भूमिस्वामी	7/1	0.83	0.83	0.00	
21	गौरवसिंह ना.बा. पिता महेन्द्रकुमार संरक्षक महेन्द्रकुमार	भूमिस्वामी	7/2	0.40	0.40	0.00	
22	देशरानी पति परषोत्तम	भूमिस्वामी	8/1	0.88	0.88	0.00	
		भूमिस्वामी	8/2	1.2	1.20	0.00	
		भूमिस्वामी	8/3	0.4	0.40	0.00	
23	शिवप्रसाद पिता मुलू	भूमिस्वामी	9	0.57	0.57	0.00	
24	मुलू पिता बुदू	भूमिस्वामी	10	1.57	1.57	0.00	
25	मुन्नीलाल दम्भू हल्लू पिस. शंकर शांतीबाई पुत्री शंकर ललताबाई वेवा शंकर	भूमिस्वामी	11	1.03	1.03	0.00	
		भूमिस्वामी	12/1	0.46	0.46	0.00	
26	मिटठल पिता मांगू	भूमिस्वामी	12/2	1.01	1.01	0.00	

27	राजेश पिता रतिराम सोनाबाई पुत्री रतिराम भागवाई वेवा रतिराम	भूमिस्वामी	13	1.59	1.59	0.00	
		भूमिस्वामी	39	1.52	1.52	0.00	
28	महादेव पिता हीरालाल	भूमिस्वामी	15/1	0.2	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	17/1	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	23/4	0.58	0.58	0.00	
29	राजेन्द्रकुमार सुरेशकुमार पि. जगतसींग	भूमिस्वामी	15/2	1.41	1.41	0.00	
30	नवेशकुमार पिता जगतसिंह	भूमिस्वामी	17/2	0.22	0.22	0.00	
		भूमिस्वामी	15/3	0.48	0.48	0.00	
31	लक्ष्मण पिता हीरा	भूमिस्वामी	15/4	0.2	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	17/3	0.12	0.12	0.00	
		भूमिस्वामी	23/8	0.57	0.57	0.00	
32	सियारानी वेवा हीरालाल	भूमिस्वामी	15/5	0.08	0.08	0.00	
33	संतोषकुमार नरेशकुमार राजेन्द्र सुरेश पिस. जगतसींग	भूमिस्वामी	23/1	1.86	1.86	0.00	
34	ओंकारसींग पिता मूरतसींग	भूमिस्वामी	23/2	0.4	0.40	0.00	
35	भागीरथप्रसाद पिता नारायण	भूमिस्वामी	23/3/1	0.54	0.54	0.00	
36	रामसेवक पिता नारायण	भूमिस्वामी	23/3/2	0.56	0.56	0.00	
37	कंचेदी पिता नारायण	भूमिस्वामी	23/3/3	0.56	0.56	0.00	
38	देवीप्रसाद पिता नारायण	भूमिस्वामी	23/3/4	0.6	0.60	0.00	
39	बलराम पिता काशीराम	भूमिस्वामी	23/5/1	0.58	0.58	0.00	
40	कड़ोरी पिता काशीराम	भूमिस्वामी	23/5/2	0.57	0.57	0.00	
41	खेमचंद पिता भैयालाल उर्फ सीताराम	भूमिस्वामी	23/7/2/2	0.76	0.76	0.00	
		भूमिस्वामी	32/3/2/2	0.1	0.10	0.00	
42	बाबूलाल पिता जमना	भूमिस्वामी	23/7/1/2	0.76	0.76	0.00	
		भूमिस्वामी	32/3/1/2	0.1	0.10	0.00	
43	पप्पू पिता जमना	भूमिस्वामी	23/7/1/1	0.76	0.76	0.00	
		भूमिस्वामी	32/3/1/1	0.1	0.10	0.00	

44	आनंद पिता भैयालाल उर्फ सीताराम	भूमिस्वामी	23/7/2/1	0.76	0.76	0.00
		भूमिस्वामी	32/3/2/1	0.1	0.10	0.00
45	महेन्द्र पिता ओमकार 1/2, लालसिंह पिता ओमकार 1/2 भाग	भूमिस्वामी	24	0.45	0.45	0.00
		भूमिस्वामी	26	0.34	0.34	0.00
46	हरप्रसाद पिता छिमाधर	भूमिस्वामी	25	0.4	0.40	0.00
		भूमिस्वामी	40	1.75	1.75	0.00
		भूमिस्वामी	41	0.2	0.20	0.00
		भूमिस्वामी	50	0.09	0.09	0.00
47	मनीराम संगल श्याम पप्पू सहदेव पिता मूरतसींग सावित्री गुड्डी पुत्री मूरतसींग	भूमिस्वामी	28	0.9	0.90	0.00
48	लक्ष्मीरानी पत्नी हल्ले उर्फ मनोहर	भूमिस्वामी	29/1	0.18	0.18	0.00
49	पूरन पिता गोकल	भूमिस्वामी	29/3	0.4	0.40	0.00
		भूमिस्वामी	23/6	0.73	0.73	0.00
50	जानकी मोती फिस. शंकर	भूमिस्वामी	29/2	0.17	0.17	0.00
		भूमिस्वामी	44/2	0.25	0.25	0.00
		भूमिस्वामी	54/1	0.35	0.35	0.00
51	प्रकाश पिता रामकिशुन	भूमिस्वामी	33	1.07	1.07	0.00
		भूमिस्वामी	29/4	0.4	0.40	0.00
		भूमिस्वामी	31/2	0.4	0.40	0.00
		भूमिस्वामी	32/4	0.04	0.04	0.00
52	बशी पिता गोकल	भूमिस्वामी	31/1	0.34	0.34	0.00
		भूमिस्वामी	32/1	0.54	0.54	0.00
		भूमिस्वामी	32/2	0.2	0.20	0.00
		भूमिस्वामी	32/5	0.06	0.06	0.00
53	मोहन पिता नन्नाई	भूमिस्वामी	34/1/1	0.15	0.15	0.00
		भूमिस्वामी	34/5/1	0.27	0.27	0.00
54	किशोरसिंह पिता हरिसिंह	भूमिस्वामी	34/1/2/1	0.22	0.22	0.00

		भूमिस्वामी	34/5/2	0.8	0.80	0.00	
55	राघवेन्द्रसिंह ठाकुर पिता सोवन सिंह	भूमिस्वामी	34/1/2/2	0.2	0.20	0.00	
56	सतीशकुमार पिता माधवप्रसाद	भूमिस्वामी	34/2	0.8	0.80	0.00	
57	भगवानदास पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	34/3	1.66	1.66	0.00	
58	राजकुमार पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	34/4	0.83	0.83	0.00	
59	रामनाथ पिता पंचे	भूमिस्वामी	35/1	0.4	0.40	0.00	
60	रामनाथ पिता पंचे छोटे लाल कुंजीलाल लखनलाल पिता रामनाथ भागबाई पिता रामनाथ कुर्मी	भूमिस्वामी	35/2	0.4	0.40	0.00	
61	छोटे लाल पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	35/3	0.8	0.80	0.00	
62	लखनलाल पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	35/4	0.8	0.80	0.00	
63	तेजी पिता हजारी	भूमिस्वामी	36	1.33	1.33	0.00	
		भूमिस्वामी	38	0.69	0.69	0.00	
64	चंद्रभान पिता लालचंद साहू 28/112 भाग, निर्मलाबाई पुत्री लालचंद 28/112, पार्वतीबाई पुत्री लालचंद 28/112, सरोजरानी देवा लालचंद 28/112 भाग	भूमिस्वामी	37/1	1.12	1.12	0.00	
65	गफलू पिता हरिराम	भूमिस्वामी	37/2	1.12	1.12	0.00	
66	गुड्डीबाई उर्फ राजेशरानी पुत्री हरिराम पत्नी भगवानदास	भूमिस्वामी	37/3	1.12	1.12	0.00	
67	रामदास अजुदी माखन मूलचंद पिता भैयालाल सियानीबहु देवा भैयालाल	भूमिस्वामी	43/1	0.14	0.14	0.00	
68	राजकुमार हरीदास पिस. रामनाथ	भूमिस्वामी	43/2	0.88	0.88	0.00	
		भूमिस्वामी	47	0.27	0.27	0.00	
		भूमिस्वामी	48	0.44	0.44	0.00	
		भूमिस्वामी	49	0.07	0.07	0.00	
69	सूरजबाई पति केशराम	भूमिस्वामी	44/1	0.24	0.24	0.00	
70	रामनाथ पिता काशीराम	भूमिस्वामी	46	0.43	0.43	0.00	
71	काशीराम पिता छिमाधर	भूमिस्वामी	42	0.22	0.22	0.00	

		भूमिस्वामी	51	0.07	0.07	0.00	
		भूमिस्वामी	64	1.9	1.90	0.00	
72	तिलकसींग पि. माखनलाल	भूमिस्वामी	52	0.2	0.20	0.00	
73	राजकुमार हरिदास नाबालिग पिता रामनाथ संरक्षक रामनाथ	भूमिस्वामी	53	0.3	0.30	0.00	
74	सूरजबाई पति केशराम	भूमिस्वामी	54/2	0.36	0.36	0.00	
75	उमाशंकर उर्फ मुन्नालाल पिता काशीराम	भूमिस्वामी	55	3.58	3.58	0.00	
76	सीताराम पि. काशीराम	भूमिस्वामी	56	2.62	2.62	0.00	
77	कैलाश पि. काशीराम	भूमिस्वामी	57	2.69	2.69	0.00	
78	रामा पिता ब्रजलाल	भूमिस्वामी	58	2.82	2.82	0.00	
79	मनोहर पिता परषोत्तम	भूमिस्वामी	61/1	1.03	1.03	0.00	
80	शिव जगदीश धनीराम पवन पिता राजाराम भागबाई पुत्री राजाराम प्रेमबाई बेवा राजाराम	भूमिस्वामी	61/2	1.6	1.60	0.00	
81	नरेश पिता परषोत्तम	भूमिस्वामी	61/3	0.82	0.82	0.00	
82	बद्रीप्रसाद पिता हरवंश	भूमिस्वामी	63/1	0.45	0.45	0.00	
83	घनश्याम पिता हरवंश	भूमिस्वामी	63/2	0.45	0.45	0.00	
84	मुन्नीलाल पिता हरवंश	भूमिस्वामी	63/3	0.45	0.45	0.00	
85	कामताप्रसाद पिता नाथूराम दुर्गाप्रसाद पिता नाथूराम भोतीलाल पिता नाथूराम शीलाबाई पिता नाथूराम रामदुलारी वेवा नाथूराम कुर्मी	भूमिस्वामी	63/4	0.46	0.46	0.00	
86	प्यारेलाल पिता काशीराम	भूमिस्वामी	65	2.97	2.97	0.00	
	कुल		121	84.44	84.44	0.00	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को

अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पृ.क्र.-18 अ-82-2022-23-भू-अर्जन-22-6956

सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2022

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माण
- (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
2. तहसील : रहली
3. ग्राम : समनापुर बेरखेडी
4. पट.ह.नं. : 45 हिनाती
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 75.30 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

क्र. स.	नाम भूमि स्वामी/पिता- पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित ख. नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा हे. में.	शेष रकवा	रिमार्क
1	पुष्पाबाई पुत्री तोड़ल	भूमिस्वामी	89/1	3.23	0.48	2.75	
2	रितु जौजे चक्रेशकुमार	भूमिस्वामी	89/2	1.00	0.15	0.85	
3	मणि जौजे आनंदकुमार	भूमिस्वामी	89/3	1.00	0.15	0.85	
4	रचना जौजे राजेशकुमार	भूमिस्वामी	89/4	1.20	0.18	1.02	
5	सोमेशकुमार पिता ऋषभकुमार जैन	भूमिस्वामी	91	1.51	0.91	0.60	
6	सियारानी पति महादेव	भूमिस्वामी	93/1	0.80	0.72	0.08	
7	रतीराम थानसींग पिता मकुंदी	भूमिस्वामी	93/2	0.80	0.72	0.08	
8	यमंककुमार पिता अजयकुमार 1/3, सक्षमकुमार पिता अजयकुमार 1/3, मधुलता पुत्री अजयकुमार 1/3 भाग	भूमिस्वामी	94	0.70	0.35	0.35	

9	देवेन्द्रकुमार पिता अन्दीलाल	भूमिस्वामी	95	0.80	0.64	0.16	
		भूमिस्वामी	96/2	0.45	0.41	0.05	
		भूमिस्वामी	188/2	0.20	0.20	0.00	
10	बलराम पिता नत्थू 1/10, शिबोबाई वेवा नत्थू 2/10, नन्हेभाई पिता नत्थू 2/10 हल्लेभाई पिता नत्थू 2/10, प्यारेलाल पिता नत्थू 2/10, प्रेमबाई पुत्री नत्थू 2/10 भाग	भूमिस्वामी	96/1/1	0.10	0.09	0.01	
11	रामबाई गौड़ पत्नी कमलसिंह	भूमिस्वामी	96/1/2	0.45	0.41	0.05	
12	रतिराम थानसीग पिता मकुंदी सरोजबाई वतीबाई पुत्री मकुंदी	भूमिस्वामी	97/1	2.06	1.85	0.21	
13	कमलसिंह पिता रतिराम	भूमिस्वामी	97/2	1.00	0.90	0.10	
14	लठई इन्द्रजीत रामप्रसाद पि. पुसऊ	भूमिस्वामी	98	1.13	0.90	0.23	
15	बिरजू पुत्र रामलाल	भूमिस्वामी	99/1/1	0.66	0.66	0.00	
16	खरगराम पिता चिंटाई चढ़ार	भूमिस्वामी	99/1/2	0.20	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	100	0.40	0.40	0.00	
17	पूरनसिंह पिस. सूरतसींग	भूमिस्वामी	99/2	0.50	0.50	0.00	
18	पुष्पेन्द्र नाबा. पिता रतन वली माँ खुद गेंदाबाई गीता नाबा. सीता नाबा. पिता रतन वली खुद माँ गेंदाबाई वेवा रतन	भूमिस्वामी		0.80	0.80	0.00	
19	रामप्रसाद पिता गोकल	भूमिस्वामी	99/4	0.40	0.40	0.00	
20	शांतीबाई पति शेरसिंह	भूमिस्वामी	101	1.19	1.19	0.00	
		भूमिस्वामी	102/2	0.08	0.08	0.00	
21	परषोत्तम पिता सुंदरलाल	भूमिस्वामी	103/1	0.60	0.48	0.12	
22	लटोरी पिता हरी	भूमिस्वामी	103/2	1.21	0.97	0.24	
23	हरदयाल पिता सुंदरलाल	भूमिस्वामी	103/3	0.60	0.48	0.12	
24	खुशीलाल पिता कमोदप्रसाद कुर्मी	भूमिस्वामी	103/4	0.60	0.48	0.12	
25	बिहारी पिता गजू	भूमिस्वामी	104/1	0.05	0.01	0.04	
		भूमिस्वामी	104/3	1.53	0.31	1.22	
26	परसू पिता गजू	भूमिस्वामी	104/2	0.19	0.04	0.15	
		भूमिस्वामी	104/4	1.48	0.30	1.18	

27	जानकीबाई पति सहाबसिंह	भूमिस्वामी	121/1	1.66	1.58	0.08
		भूमिस्वामी	121/3	0.55	0.52	0.03
28	नीलेशबाई पिता साहबसिंग	भूमिस्वामी	121/2	0.80	0.76	0.04
29	सुन्नू पिता बालकिशुन	भूमिस्वामी	123/1	0.20	0.03	0.17
30	अच्छेलाल पिता बालकिशुन	भूमिस्वामी	123/2	0.60	0.09	0.51
31	बालकिशन पिता नंदे	भूमिस्वामी	124	1.12	0.78	0.34
32	हल्काई पिता धुंधा 56/77 भाग, जमना पिता धुंधा 05/77, लक्ष्मन पिता धुंधा 16/77 भाग	भूमिस्वामी	139/1/1	0.77	0.46	0.31
		भूमिस्वामी	139/1/2	0.50	0.30	0.20
34	जनकरानी पत्नी बालकिशुन	भूमिस्वामी	139/2	0.40	0.24	0.16
35	कंचेदी पिता रति दुर्गाबाई पुत्री रति	भूमिस्वामी	145	0.85	0.34	0.51
36	ओमप्रकाश पिता रघुनंदन	भूमिस्वामी	146	1.33	0.53	0.80
37	भैयाराम पिता दामोदर	भूमिस्वामी	183	1.02	1.02	0.00
38	पन्नालाल वल्द भैयाराम	भूमिस्वामी	184	1.00	1.00	0.00
39	सरमन सुशीला पिता टीकाराम चन्द्ररानी वेवा टीकाराम घनश्याम पिता दौलत शकुनबाई भागबाई पिता दौलत रैकवार	भूमिस्वामी	186/1	0.84	0.84	0.00
		भूमिस्वामी	186/2	0.21	0.21	0.00
41	भरत तारा रख्खीबाई राधाबाई सहोद्राबाई पिता रामचरन रामचरन पिता दिमान	भूमिस्वामी	187	0.98	0.98	0.00
42	रामचरण पिता शोभा	भूमिस्वामी	188/1	0.62	0.62	0.00
43	मोहन सोहन लक्ष्मन बालमुकुंद पिता रमजू भागबाई शकुनबाई जमनाबाई राधाबाई पिता रमजू पिता रमजू	भूमिस्वामी	190	0.80	0.80	0.00
44	मिटू पिता हरकिशन	भूमिस्वामी	191	0.80	0.80	0.00
45	सीताराम पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/1	0.12	0.12	0.00
		भूमिस्वामी	194/3	0.67	0.67	0.00
		भूमिस्वामी	203/1	0.11	0.11	0.00
46	कम्मू पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/2	0.12	0.12	0.00
		भूमिस्वामी	194/1	1.00	1.00	0.00

		भूमिस्वामी	203/2	0.12	0.12	0.00	
47	मूलचंद पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/3	0.12	0.12	0.00	
		भूमिस्वामी	203/3	0.11	0.11	0.00	
48	भगवानदास पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/4	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	194/2	1.00	1.00	0.00	
		भूमिस्वामी	203/4	0.12	0.12	0.00	
49	दुर्गाशंकर पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/5	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	198	0.62	0.09	0.53	
		भूमिस्वामी	200/1	0.14	0.03	0.11	
		भूमिस्वामी	203/5	0.12	0.12	0.00	
50	मथाराबाई पुत्री धरमदास 1/2, रूपवती बाई पुत्री धरमदास 1/2 भाग	भूमिस्वामी	192/6	0.22	0.22	0.00	
		भूमिस्वामी	203/6	0.22	0.22	0.00	
51	मुन्नालाल पिता चिंटाई	भूमिस्वामी	195/1	0.32	0.32	0.00	
52	आशाराम पिता चिंटाई	भूमिस्वामी	195/2	0.32	0.32	0.00	
53	सुन्नू परषोत्तम पिस. बालकिशुन	भूमिस्वामी	196/1	1.21	1.15	0.06	
54	ननाई पति राधारानी पिता कड़ेरी	भूमिस्वामी	196/2	1.45	1.38	0.07	
55	सुन्नू परषोत्तम पिस. बालकिशुन	भूमिस्वामी	197	0.40	0.38	0.02	
56	मुरलीधर पिता तेजी	भूमिस्वामी	200/2	0.26	0.05	0.21	
		भूमिस्वामी	201	0.80	0.04	0.76	
57	रामचरण बाबूलाल पिस. दौलत सिरदार वे. दौलत कोमल पिता सूरतसिंह	भूमिस्वामी	202/1	3.05	2.90	0.15	
58	देवी भजनी हल्लू पिता रामचरण हरिबाई पुत्री रामचरण राजरानी देवा रामचरण पिता रामचरण गौड़	भूमिस्वामी	202/2	1.33	1.26	0.07	
59	भगवानसींग पिता बाबूलाल 1/3, प्रकाशरानी देवा बाबूलाल 1/3, दयाबंती पुत्री बाबूलाल 1/3 भाग	भूमिस्वामी	202/3	1.32	1.25	0.07	
60	गजाराज हल्लेभाई पिता पूरन ममता शांती पारवती नन्नीबाई पुत्री पूरन	भूमिस्वामी	204	0.80	0.80	0.00	
61		भूमिस्वामी	205	0.80	0.80	0.00	

	रामलाल भगवानदास नरेन्द्रकुमार पिता लोडल मथुराबाई उर्मिलाबाई पिता तोडल	भूमिस्वामी	211/1	0.40	0.40	0.00	
62	सियारानी वेवा रामसींग	भूमिस्वामी	206	0.90	0.90	0.00	
63	राजाराम पुत्री जगन्नाथ हल्लू संतोष पिता लूला इमरती पिता लूला	भूमिस्वामी	207	0.80	0.80	0.00	
64	रतीराम लक्ष्मण पिस. बारेलाल पार्वतीबाई पुत्री बारेलाल सरीती बेवा बारेलाल	भूमिस्वामी	208	0.80	0.80	0.00	
65	श्यामलाल पिता हीरालाल	भूमिस्वामी	209	0.82	0.82	0.00	
66	चन्द्ररानी जोजे सोहन	भूमिस्वामी	210/1	0.20	0.20	0.00	
67	चंद्ररानी वेवा सोहन दीपक आनंद विकास पिस. सोहन विनीता मोना पुत्रियां सोहन	भूमिस्वामी	210/2	0.63	0.63	0.00	
		भूमिस्वामी	210/3	0.21	0.21	0.00	
68	रघुवर प्रसाद काशीबाई पिता बंदेले अहिरवार	भूमिस्वामी	211/2	0.40	0.40	0.00	
69	काशीराम पिता कड़ोरी	भूमिस्वामी	212/1/1	0.93	0.88	0.05	
70	शिबू पिता कड़ोरी	भूमिस्वामी	212/1/2	0.40	0.38	0.02	
71	प्रागरानी वेवा भैयालाल 24/94 भाग, देवीसींग पिता भैयालाल 24/94, टुण्डो ऊषा पुत्री भैयालाल 46/94 भाग	भूमिस्वामी	212/1/3	0.94	0.89	0.05	
72	दिलवीरसिंह पिता बद्रीप्रसाद	भूमिस्वामी	212/2	0.56	0.53	0.03	
73	हरीसीद रामसींग पि. बिहारी लाल बाहदुरसींग नावा. पि.प. बिहारीलाल	भूमिस्वामी	213	0.40	0.02	0.38	
74	रामरतन पिता करनसींग कुर्मी	भूमिस्वामी	216/1	0.50	0.40	0.10	
75	शालकराम पिता करनसींग कुर्मी	भूमिस्वामी	216/2	0.50	0.40	0.10	
76	दामोदर पिता करनसींग कुर्मी	भूमिस्वामी	216/3	0.50	0.40	0.10	
77	करन पिता गिरधारी	भूमिस्वामी	217	1.31	1.31	0.00	
78	बाबूलाल पिता परम बृजरानी पति परम	भूमिस्वामी	218	2.78	2.78	0.00	
79	साबू वल्द बद्रीप्रसाद पिता छिमाधर	भूमिस्वामी	219/1	1.20	1.14	0.06	
80	बद्रीप्रसाद पिता छिमाधर	भूमिस्वामी	219/2	1.63	1.55	0.08	
81	नर्वदाप्रसाद पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	220/1	0.99	0.94	0.05	
82	माखन पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	220/2	1.00	0.25	0.75	
83	गुलाबसींग पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	220/3	1.00	0.25	0.75	

84	शालकराम दामोदर कुर्मी पिता करनसींग	भूमिस्वामी	221/1	0.41	0.41	0.00
		भूमिस्वामी	221/2	0.40	0.40	0.00
85	विजयकुमार जिनेशकुमार पिता रूपचंद	भूमिस्वामी	222	0.80	0.80	0.00
86	कछेदी पिता बिहारी	भूमिस्वामी	223	0.80	0.80	0.00
87	बिहारी पिता बंशी	भूमिस्वामी	224	1.00	1.00	0.00
88	गुलू पिता बलराम	भूमिस्वामी	225/1	0.61	0.61	0.00
89	डब्बू गौंड पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	225/2	0.20	0.20	0.00
90	फूलसींग पि. पुसई	भूमिस्वामी	226	1.00	1.00	0.00
91	शिवदत्त पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	227	1.00	1.00	0.00
92	रज्जू पिता हरिराम 1/9, गोबर्धन पिता हरिराम 1/9, बसंत पिता हरिराम 1/9, हल्ले पिता हरिराम 1/9, मुलु पिता हरिराम 1/9, संतोष पिता हरिराम 1/9, संतोष पिता हरिराम 1/9, सीताबाई पुत्री हरिराम 1/9, सहोदराबाई पुत्री हरिराम 1/9, तेजाबाई वेवा हरिराम 1/9 भाग	भूमिस्वामी	228/1	2.65	2.65	0.00
93	लखनसिंह पिता सूरतसिंह	भूमिस्वामी	228/2	0.40	0.40	0.00
94	भागीरथ पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	229/1	0.99	0.99	0.00
		भूमिस्वामी	230/1	0.80	0.80	0.00
95	विजयकुमार पिता रूपचंद	भूमिस्वामी	229/2	0.80	0.80	0.00
96	शांतिबाई पति शेरसिंह	भूमिस्वामी	229/3	0.20	0.20	0.00
97	मुलामप्रसाद पिता जमनाप्रसाद 1/2, शेवप्रसाद पिता जमनाप्रसाद 1/2 भाग	भूमिस्वामी	230/2	0.20	0.20	0.00
98	प्रताप कुंदन हल्लन पिता कड़ोरी ललताबाई वेवा कड़ोरी	भूमिस्वामी	231	0.74	0.74	0.00
99	मुलाम शेवप्रसाद पुत्री जाली रामदुलारी वेवा जाली	भूमिस्वामी	232	1.00	1.00	0.00
100	मुलाम शिवप्रसाद बा. पुत्र जमना वली मां रामदुलारी वे. जमना कृष्णाबाई पार्वती भागबाई पुत्री जमना रामदुलारी वे. जमना परसोषोत्तम पि. सुंदर	भूमिस्वामी	234	0.30	0.30	0.00
101	रमेश पिता शिवचरन	भूमिस्वामी	120/1	0.82	0.16	0.66

102	सियारानी वेवा शिवचरन	भूमिस्वामी	120/2/1	0.40	0.02	0.38	
103	दिनेश कुमार पिता हरिनारायण	भूमिस्वामी	120/2/2	0.80	0.04	0.76	
104	रतनसींग पि. भगवानसिंह	भूमिस्वामी	215/1	0.84	0.13	0.71	
106	देवेन्द्रसिंह लक्ष्मीनारायण पिता मोहनसिंह विध्याबाई वेवा मोहनसिंह	भूमिस्वामी	215/2	0.44	0.07	0.37	
	योग			96.46	75.30	21.16	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पृ.क्र.-19-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-22-6957

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माण
 (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : रहली
 3. ग्राम : मोतीपार
 4. पट.ह.नं. : 45 हिनौती
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 120.23 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता- पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित ख. नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा हे. में.	शेष रकवा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	
1	खरगराम नन्नेलाल पिस. गन्ना पंखीबाई पुत्री गन्ना अवधरानी बेवा गन्ना	भूमिस्वामी	2/1	0.96	0.96	0.00	
		भूमिस्वामी	3	0.37	0.37	0.00	
2	मनोहर पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	2/2	0.40	0.40	0.00	
3	घनश्याम पिता धीरेलाल	भूमिस्वामी	4/1	1.08	1.08	0.00	
4	पन्नालाल पिता बट्टूलाल	भूमिस्वामी	5	1.53	1.53	0.00	
5	बालकदास पि. नारायण	भूमिस्वामी	6	1.85	1.85	0.00	
6	पन्नालाल पिता बड्डू लाल	भूमिस्वामी	7	0.23	0.23	0.00	
7	कामताप्रसाद पिता धीरेलाल	भूमिस्वामी	8	0.20	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	10	1.00	1.00	0.00	
8	राजकुमार पुत्र नाथूराम	भूमिस्वामी	9/1	0.54	0.54	0.00	
9	अशोक पुत्र नाथूराम	भूमिस्वामी	9/2	0.54	0.54	0.00	

10	अमान सुरेश भूरे पिता निरपत	भूमिस्वामी	11	2.43	2.43	0.00
11	मनोहरलाल पि. हरवंश	भूमिस्वामी	12	1.07	1.07	0.00
12	कमलेशकुमार पिता चोखेलाल	भूमिस्वामी	13	1.07	1.07	0.00
13	नारायण पिता दयाराम	भूमिस्वामी	14/1	1.07	1.07	0.00
14	गोविन्द पिता दयाराम	भूमिस्वामी	14/2	1.01	1.01	0.00
		भूमिस्वामी	15/2	0.06	0.06	0.00
15	नारायणप्रसाद पिता दशरथ	भूमिस्वामी	65	0.13	0.13	0.00
16	बलराम पिता मोहन	भूमिस्वामी	15/1	1.01	1.01	0.00
		भूमिस्वामी	16	0.93	0.93	0.00
		भूमिस्वामी	18	0.20	0.20	0.00
17	उर्मिला पति शारदा	भूमिस्वामी	19	0.89	0.89	0.00
		भूमिस्वामी	30	1.00	1.00	0.00
		भूमिस्वामी	42/7	0.01	0.01	0.00
18	लखनलाल पिता दशरथलाल	भूमिस्वामी	21	0.68	0.68	0.00
19	भैयाराम पिता गौरीशंकर	भूमिस्वामी	21/3	1.98	1.98	0.00
		भूमिस्वामी	40/1	1.17	1.17	0.00
		भूमिस्वामी	43/1	1.16	1.16	0.00
20	नरेशकुमार पिता नारायणप्रसाद	भूमिस्वामी	22	0.80	0.80	0.00
21	लालचंद उर्फ लक्ष्मीप्रसाद पिता दशरथलाल	भूमिस्वामी	23	1.50	1.50	0.00
		भूमिस्वामी	26	0.16	0.16	0.00
		भूमिस्वामी	27	0.73	0.73	0.00
		भूमिस्वामी	61	1.60	1.60	0.00
22	खूबसिंग पिता जुझारसिंग	भूमिस्वामी	24/1	1.30	1.30	0.00
23	मूरतसींग पिता प्रेमसींग	भूमिस्वामी	24/2	1.29	1.29	0.00
24	दामोदर उर्फ भूरे पिता नारायण	भूमिस्वामी	25	1.24	1.24	0.00
25	द्वारकाप्रसाद पि. नारायणप्रसाद	भूमिस्वामी	28/1	0.60	0.60	0.00
		भूमिस्वामी	29/1	0.21	0.21	0.00
		भूमिस्वामी	51	0.10	0.10	0.00
		भूमिस्वामी	52	0.03	0.03	0.00
		भूमिस्वामी	54/2	0.26	0.26	0.00
		भूमिस्वामी	55	0.14	0.14	0.00
		भूमिस्वामी	56	0.08	0.08	0.00
		भूमिस्वामी	57/4	0.57	0.57	0.00
26	भरत पिता सीताराम	भूमिस्वामी	77/2	0.42	0.42	0.00
		भूमिस्वामी	28/2	0.43	0.43	0.00
27	लखन पिता जमनाप्रसाद	भूमिस्वामी	57/6	0.32	0.32	0.00
		भूमिस्वामी	28/3	0.02	0.02	0.00
28	राजेन्द्रप्रसाद पिता जमनाप्रसाद	भूमिस्वामी	29/2	0.23	0.23	0.00
		भूमिस्वामी	29/3	0.69	0.69	0.00

		भूमिस्वामी	57/1	0.48	0.48	0.00	
		भूमिस्वामी	76/1	0.47	0.47	0.00	
29	हेमन्तकुमार उर्फ कलू पिता लखनलाल	भूमिस्वामी	31	2.42	2.42	0.00	
30	डेलनसिंह उर्फ डॉक्टर पिता लखनलाल	भूमिस्वामी	32	2.44	2.44	0.00	
31	बशी उर्फ बकील पिता नारायण	भूमिस्वामी	34	1.81	1.81	0.00	
32	कौशल्यारानी जोजे लालचंद	भूमिस्वामी	35	1.82	1.82	0.00	
33	हनुमत पिता शारदा	भूमिस्वामी	36	1.81	1.81	0.00	
		भूमिस्वामी	37/3	0.01	0.01	0.00	
34	विष्णु पिता गोकल	भूमिस्वामी	37/1	0.56	0.56	0.00	
		भूमिस्वामी	38/2	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	42/3	0.92	0.92	0.00	
35	पीताम्बर पिता गोकल	भूमिस्वामी	37/2	0.88	0.88	0.00	
		भूमिस्वामी	42/4	0.96	0.96	0.00	
36	संजय बबलू पिता रामभरोसी	भूमिस्वामी	39	1.12	1.12	0.00	
		भूमिस्वामी	109	0.16	0.16	0.00	
37	मुकेश पिता भोला	भूमिस्वामी	41/1	0.30	0.30	0.00	
		भूमिस्वामी	42/1	0.37	0.37	0.00	
38	रमेश पिता भोला	भूमिस्वामी	38/1	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	41/2	0.19	0.19	0.00	
		भूमिस्वामी	42/2	0.38	0.38	0.00	
39	पवन वल्द विष्णु	भूमिस्वामी	41/3	0.19	0.19	0.00	
		भूमिस्वामी	42/5	0.24	0.24	0.00	
		भूमिस्वामी	79/3	0.20	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	80/3	0.19	0.19	0.00	
		भूमिस्वामी	81/4	0.19	0.19	0.00	
40	सविता कुर्मी पत्नी पीताम्बर	भूमिस्वामी	42/6	0.20	0.20	0.00	
41	रामदीन पिता गौरीशंकर	भूमिस्वामी	43/2	1.17	1.17	0.00	
		भूमिस्वामी	40/2	0.89	0.89	0.00	
42	रामसेवक पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/2	0.04	0.04	0.00	
43	राकेशकुमार वल्द ज्वालालाप्रसाद	भूमिस्वामी	44	0.87	0.87	0.00	
44	ज्वालालाप्रसाद वल्द गौरीशंकर	भूमिस्वामी	45	0.75	0.75	0.00	
		भूमिस्वामी	46/1	0.04	0.04	0.00	
45	गोटीराम पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	47/1	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	85/1	0.69	0.03	0.66	
46	लक्ष्मीरानी वेवा परषोत्तम सुरेन्द्र पिता परषोत्तम कुर्मी	भूमिस्वामी	46/3	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	85/3	0.69	0.69	0.00	

		भूमिस्वामी	47/3	0.04	0.04	0.00
47	कन्हैयालाल पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/4	0.04	0.04	0.00
		भूमिस्वामी	47/4	0.04	0.04	0.00
		भूमिस्वामी	85/4	0.69	0.69	0.00
48	संतोष पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/5	0.04	0.04	0.00
		भूमिस्वामी	47/5	0.04	0.04	0.00
		भूमिस्वामी	85/5	0.69	0.69	0.00
49	केशवप्रसाद पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/6	0.04	0.04	0.00
		भूमिस्वामी	47/6	0.04	0.04	0.00
		भूमिस्वामी	85/6	0.69	0.69	0.00
50	महारानी बेवा बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/7	0.01	0.01	0.00
		भूमिस्वामी	47/7	0.01	0.01	0.00
		भूमिस्वामी	85/7	0.01	0.01	0.00
51	रामसेबक पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	47/2	0.04	0.04	0.00
		भूमिस्वामी	85/2	0.69	0.03	0.66
52	रतिराम रामप्रसाद उर्फ बाबूलाल पिता द्वारकाप्रसाद	भूमिस्वामी	48	0.05	0.05	0.00
		भूमिस्वामी	49	0.36	0.36	0.00
		भूमिस्वामी	84	4.07	1.02	3.05
53	पूनाबाई देवा भोला जाति कुर्मी 1/5 भाग रामसखी पिता भोला जाति कुर्मी 1/5 भाग हेमराज पिता भोला जाति कुर्मी 1/5 भाग मुकेश पिता भोला जाति कुर्मी 1/5 भाग रमेश पिता भोला जाति कुर्मी 1/5 भाग	भूमिस्वामी	50	0.03	0.03	0.00
		भूमिस्वामी	53	0.10	0.10	0.00
		भूमिस्वामी	78/1	1.01	0.71	0.30
		भूमिस्वामी	80/1	0.04	0.04	0.00
		भूमिस्वामी	81/1	0.20	0.20	0.00
54	द्वारकाप्रसाद पि. नारायण, हल्लेभाई पिता द्वारकाप्रसाद, श्यामबाई, हल्लीबाई पुत्रियां द्वारकाप्रसाद	भूमिस्वामी	54/1	0.73	0.73	0.00
55	हल्लेभाई पिता द्वारकाप्रसाद	भूमिस्वामी	57/2	0.29	0.29	0.00
		भूमिस्वामी	57/3	0.20	0.20	0.00
		भूमिस्वामी	58/2	0.01	0.01	0.00
		भूमिस्वामी	76/2	0.22	0.22	0.00
		भूमिस्वामी	77/1	0.38	0.38	0.00
56	चन्द्रभान पिता सीताराम	भूमिस्वामी	57/5	0.08	0.08	0.00
		भूमिस्वामी	76/3	0.66	0.66	0.00

57	सीताराम पिता जमनाप्रसाद	भूमिस्वामी	58/1	0.16	0.16	0.00
58	जनकरानी बेवा राधाशरण	भूमिस्वामी	59	1.30	1.30	0.00
59	अनुसुईयारानी जोजे लखनलाल	भूमिस्वामी	60	1.26	1.26	0.00
60	राजप्यारी जोजे नारायण	भूमिस्वामी	62	0.75	0.75	0.00
61	नारायणप्रसाद पिता दशरथ	भूमिस्वामी	64/2	0.44	0.44	0.00
		भूमिस्वामी	68/1	0.05	0.05	0.00
62	गनेश पि. मोहन	भूमिस्वामी	66	1.00	1.00	0.00
63	रूपरानी. बेवा गौरीशंकर जाति अहिरवार 1/6 भाग पार्वती पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग हल्ली पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग माया पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग भागबाई पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग मीना पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग	भूमिस्वामी	67	0.30	0.27	0.03
		भूमिस्वामी	69	0.85	0.81	0.04
64	कोमलचंद पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	70	1.20	1.08	0.12
65	कमलरानी वेवा गरीबे घनश्याम देवीसौंग पिता गरीबे सोनाबाई मोनबाई पुत्री गरीबे परसू पिता पहारी काशीराम पि. पहारी हरप्रसाद पिता पहारी अहिरवार	भूमिस्वामी	71	1.03	0.62	0.41
66	गुबंदी पिता बट्टू	भूमिस्वामी	72	1.28	0.64	0.64
67	गोकल पिता दम्मे	भूमिस्वामी	73	1.28	0.26	1.02
68	कमलरानी पति रतीराम	भूमिस्वामी	75/1	0.80	0.08	0.72
69	जयराम पिता छदामी	भूमिस्वामी	75/2	0.80	0.40	0.40
70	जगदीश पिता हिम्मत	भूमिस्वामी	75/3	0.80	0.32	0.48
71	तेजाबाई पति रामेश्वर	भूमिस्वामी	75/6	0.80	0.04	0.76
72	सुहागरानी वेवा सूरज 1/5 भाग, सोनू पिता सूरज 1/5, वीरेन्द्र नाबा. पिता सूरज संरक्षक सुहागरानी 1/5, राधाबाई पुत्री सूरज 1/5 भाग राजकुमारी नाबा. पुत्री सूरज संरक्षक सुहागरानी 1/5 भाग	भूमिस्वामी	75/7	0.76	0.08	0.68
73	लक्ष्मन पिता पूरन	भूमिस्वामी	78/2	0.60	0.42	0.18
		भूमिस्वामी	79/2	0.38	0.38	0.00
		भूमिस्वामी	80/2	0.04	0.04	0.00
74	भरत पिता गोकल	भूमिस्वामी	78/3	0.60	0.42	0.18
		भूमिस्वामी	79/1	0.10	0.10	0.00
		भूमिस्वामी	91	0.38	0.38	0.00
75	ऋषि सुशील पिता पीताम्बर	भूमिस्वामी	79/4	0.30	0.30	0.00
		भूमिस्वामी	80/4	0.09	0.09	0.00
76	पूरन पिता गोकल	भूमिस्वामी	79/5	0.06	0.06	0.00
77	मीरा बेवा गोकल	भूमिस्वामी	80/5	0.04	0.04	0.00
78		भूमिस्वामी	82	0.73	0.51	0.22

	गौतम पिता रामचरन गुलाबरानी वेवा रामचरन विमलाबाई नत्थीबाई पुत्री रामचरन	भूमिस्वामी	90	0.55	0.14	0.41
79	भगवानदास पिता नंदू रैकवार 1/5 भाग, श्रीकृष्ण पिता नंदू 1/5, रामचंद पिता नंदू 1/5 भागबाई पिता नंदू 1/5, सुनीतारानी वेवा गौरीशंकर 1/15, संदीप पिता गौरीशंकर 1/15, कस्तूरीबाई पिता गौरीशंकर 1/15 भाग	भूमिस्वामी	83	0.81	0.73	0.08
80	लुङ्कीबाई बेवा नंदराम	भूमिस्वामी	86	0.70	0.49	0.21
81	चन्द्ररानी वेवा नन्हू राजू उर्फ राजकुमार सीताराम पिता नन्हू	भूमिस्वामी	87/1	0.02	0.00	0.02
82	सीताराम पिता नन्हू	भूमिस्वामी	87/2	0.80	0.08	0.72
83	राजू उर्फ राजकुमार पिता नन्हू	भूमिस्वामी	87/3	0.46	0.05	0.41
84	बाबूलाल पि. दलसींग	भूमिस्वामी	92	1.05	0.74	0.31
85	परषोत्तम दुर्गा पिस. झगडू	भूमिस्वामी	93	1.30	0.07	1.23
86	परमलाल पिता मंगल	भूमिस्वामी	102/1	0.80	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	102/6	0.80	0.80	0.00
87	दामोदर पिता दरई	भूमिस्वामी	102/2	0.80	0.80	0.00
88	सूरजरानी पति मर्दनसींग	भूमिस्वामी	102/3	0.50	0.50	0.00
89	तोडल पिता नन्हेभाई	भूमिस्वामी	102/4	0.60	0.60	0.00
90	सोहन पुत्र कनई	भूमिस्वामी	102/5	0.47	0.47	0.00
91	प्रतिभा पिता जयप्रकाश	भूमिस्वामी	110/2	0.08	0.08	0.00
92	रमारानी वेवा जयप्रकाश संदीप पिता जयप्रकाश	भूमिस्वामी	111/1	3.27	3.27	0.00
		भूमिस्वामी	112	1.11	1.11	0.00
		भूमिस्वामी	110/1	0.80	0.80	0.00
93	राजेन्द्रकुमार पिता रामशरण	भूमिस्वामी	113	0.55	0.55	0.00
		भूमिस्वामी	114	2.28	2.28	0.00
		भूमिस्वामी	115	2.33	2.33	0.00
		भूमिस्वामी	116	0.50	0.50	0.00
		भूमिस्वामी	111/2	0.40	0.40	0.00
94	अतुलकुमार पिता घनश्यामदास	भूमिस्वामी	117/1	0.35	0.35	0.00
		भूमिस्वामी	120/2	0.84	0.84	0.00

95	संतराम वल्द लक्ष्मन	भूमिस्वामी	117/2	1.35	1.35	0.00	
96	टीकाराम पिता रामदास	भूमिस्वामी	117/3	0.82	0.82	0.00	
97	सुहागरानी पति रामप्रसाद.	भूमिस्वामी	117/4	0.80	0.80	0.00	
98	हल्लेभाई पिता कर्मोदी	भूमिस्वामी	118/1	0.76	0.76	0.00	
99	किशोरीलाल वल्द धनीराम	भूमिस्वामी	118/2	0.38	0.38	0.00	
100	मुन्ना पिता मनप्यारे	भूमिस्वामी	119	0.37	0.37	0.00	
		भूमिस्वामी	120/3/2	0.05	0.05	0.00	
101	लक्ष्मन पिता पंचे	भूमिस्वामी	120/1	0.84	0.84	0.00	
102	काशीरामपाल पिता मख्खी	भूमिस्वामी	120/3/1	0.42	0.42	0.00	
103	रूपसींग वल्द छिमाधर	भूमिस्वामी	121/2	0.69	0.69	0.00	
104	सीतारानी पति रज्जन	भूमिस्वामी	122/1	0.54	0.54	0.00	
105	संतोषरानी पति सुदामा	भूमिस्वामी	122/2	0.53	0.53	0.00	
106	मगन पिता नत्था	भूमिस्वामी	124	1.33	1.33	0.00	
107	नरेश पिता धनीराम 1/4 भाग हल्कू पिता धनीराम 1/4, किशोरी पुत्री धनीराम 1/4, ब्रजरानी वेवा धनीराम 1/4 भाग	भूमिस्वामी	125/1	0.17	0.17	0.00	
		भूमिस्वामी	126/2	0.64	0.64	0.00	
108	न्नूराम पिता जमना प्रसाद	भूमिस्वामी	125/2	0.66	0.66	0.00	
		भूमिस्वामी	126/1	0.66	0.66	0.00	
		भूमिस्वामी	123	0.32	0.32	0.00	
109	कच्छेदी पिता कलू	भूमिस्वामी	127/2	0.80	0.80	0.00	
		भूमिस्वामी	127/4	0.60	0.60	0.00	
		भूमिस्वामी	127/5	0.60	0.60	0.00	
		भूमिस्वामी	127/6	0.57	0.57	0.00	
		भूमिस्वामी	130	0.80	0.80	0.00	
110	लक्ष्मन पिता हरीअठया	भूमिस्वामी	128	1.10	1.10	0.00	
		भूमिस्वामी	129	2.94	2.94	0.00	
111	शंकर पिता कलू	भूमिस्वामी	132/1	0.17	0.17	0.00	
		भूमिस्वामी	133/1	0.40	0.40	0.00	
112	संध्यारानी पति किशुन	भूमिस्वामी	127/3	0.80	0.80	0.00	
113	ज्वाहर पिता अम्मू	भूमिस्वामी	132/2	0.60	0.60	0.00	
114	वेमल पिता पुसऊ	भूमिस्वामी	132/3	0.60	0.60	0.00	
115	छोपती पति प्यारेलाल	भूमिस्वामी	107/10	0.50	0.03	0.48	
116	चंद्ररानी पति प्रहलाद	भूमिस्वामी	107/11	0.80	0.08	0.72	
117	राघारानी पति नंदलाल	भूमिस्वामी	107/8	0.50	0.25	0.25	
	योग		204	136.04	120.23	15.81	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-22-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-8933

सागर, दिनांक 21 अक्टूबर 2022

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण	:	
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	आपचंद
4.	पट. ह. नं.-	:	109
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	219.68

क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकबा	अर्जित रकबा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					स्थिति	अर्जित	पट्टी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धीरज सींग पिता भागीरथ	भूमिस्वामी	247/1	0.87	0.87	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 सवबमलु-10, गुरार-3, हड्डा-3, रेंजा-2
			247/3	0.4	0.4	0.00	0.00	रेंजा-2 गुरार-1
			252	0.96	0.96	0.00	0.00	सुषभूल-1
2	इमरतरानी बेवा ठाकुरदास संगीता भीमा सुनीता संध्या चंद्रमान रविंद्र पिता ठाकुरदास	भूमिस्वामी	409/2	0.35	0.35	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 बेरी-2, कोहा-3, नीम-1
			421	0.3	0.30	0.00	0.00	नीम-1
			423	0.68	0.68	0.00	0.00	
3	धीरज सींग पिता नारायण सिंह	भूमिस्वामी	491/2	0.12	0.12	0.00	0.00	बबूल-4, सोवभूल-10
			488/1	0.35	0.35	0.00	0.00	सेमर-3, रेंजा-1
			488/2	0.23	0.23	0.00	0.00	रेंजा-3
4	रूपसींग पिता अर्जुनसींग	भूमिस्वामी	506	0.54	0.54	0.00	0.00	
5	घनश्याम पिता परसादी शकुनबाई पति घनश्याम	भूमिस्वामी	888/3	0.67	0.67	0.00	0.00	
6	खुमान पिता कलू सावित्री पति खुमान	भूमिस्वामी	882/5	0.28	0.28	0.00	0.00	रेंजा-1
7		भूमिस्वामी	824	0.42	0.42	0.00	0.00	

	द्वारका पिता अनंत सींग चंद्रानी पति द्वारका		833	0.50	0.5	0.00	0.00		
8	इंद्राज पिता रंजीत सींग	भूमिस्वामी	753	0.67	0.67	0.00	0.00	कुओं पक्का-1	
9	बबलू पिता कूरा विद्याबाई पति बबलू	भूमिस्वामी	864/3	1.00	0.85	0.00	0.00	कुओं पक्का, तालाब	
10	तखत पिता बुक्खे रेवारानी पति तखत	भूमिस्वामी	864/4	0.74	0.74	0.00	0.00	तालाब	
11	भागीरथ पिता भगुन्ती	भूमिस्वामी	864/5	0.74	0.74	0.00	0.00		
12	मोती पिता खंजा रामकली पति मोती	भूमिस्वामी	864/6	0.74	0.74	0.00	0.00		
13	कमलेश पिता खन्वा ललताबाई पति कमलेश	भूमिस्वामी	864/7	0.74	0.74	0.00	0.00		
14	खुमान पिता कलू सावित्री पति खुमान	भूमिस्वामी	864/8	0.46	0.46	0.00	0.00		
15	अमन निशा पिता सुमरन सिंह 1/4 महेंद्र सिंह पिता इमरत सिंह 1/4 प्रथम सिंह पिता इमरत सिंह 1/4 पार्वती बेवा इमरत सिंह 1/4	भूमिस्वामी	254	0.96	0.28	0.00	0.00	रेंजा-3, गुरार-4, चिरहोल-1, कसई-1	
			509/1	0.95	0.95	0.00	0.00	कुओं कच्चा, बेरी-1, गुरार-2, रेंजा-2, सोबबूल-8	
			512/1+5 12/2	1.55	1.55	0.00	0.00	कुओं कच्चा, रेंजा-1, सोबबूल-3	
			511/2	0.06	0.04	0.00	0.00	कुओं पक्का बेरी-20, साज-1, उमर-2 महुआ-2, गुरार-5	
16	राघवेन्द्र रूपेन्द्र पिता कपन कुसुमरानी पति कपन कुसुमरानी शिवम ना.बा. पिता धर्मेन्द्र कमलेशरानी बेवा धर्मेन्द्र	भूमिस्वामी	511/1	0.78	0.63		0.00	0.00	कुओं पक्का गुरार-2, बेरी-15
17	इन्द्राजसींग पिता कल्यानसींग मनसा पिता कल्यानसींग साधना पिता कल्यानसींग शीलरानी बेवा कल्यानसींग	भूमिस्वामी	246	0.22	0.22	0.00	0.00		
			248	0.51	0.51	0.00	0.00	बमूरा-3	
			249	1.5	0.25	0.00	0.00	बमूरा-2	
			250	0.48	0.48	0.00	0.00	कुओं पक्का, सेमर-1, बमूरा-1	
18	बबलू बालचंद गुबंदी पिता भबूदा राजकुमारी पिता भबूदा मनबाई बेवा भबूदा डुमना नाबा पिता लछमन फूलाबाई बेवा लछमन	भूमिस्वामी	505	0.86	0.86	0.00	0.00	कुओं पक्का	
			856	0.15	0.15		0.00	0.00	
19	प्रदीप पि. लक्ष्मीकांत पांडे	भूमिस्वामी	240/2	0.05	0.05	0.00	0.00		
			244/2	0.25	0.25	0.00	0.00		
20	कृपन इन्दुर पिता काशीराम गजरानी बेवा काशीराम	भूमिस्वामी	825/1	0.93	0.93	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बास मिरा-5	
21	बीरन गोविंद सरस्वती छिलिया उर्फ सीता कुंतीबाई कलीबाई हीराबाई पि.अनंदी	भूमिस्वामी	392/1/1/ 1/1	0.84	0.05		0.00	कुओं पक्का	
22	कमलेश पि. दुलिचंद पटैल	भूमिस्वामी	392/1/1/ 1/2	0.08	0.08	0.00	0.00		
			392/1/1/ 2	0.1	0.10	0.00	0.00		
			392/1/2	0.1	0.10	0.00	0.00		
			392/2	0.19	0.19	0.00	0.00		
23	कमला पिता रगवर मिहीलाल खुन्वी पिता लीलाधर धर्मदास पिता बल्लू रामेश्वर चौदा पिता दम्पू हुकमसींग मदनसींग पिता बादलसींग नर्मदाबाई पूनाबाई पिता बादलसींग	भूमिस्वामी	880	1.98	1.98		0.00	कुओं पक्का-1, रेंजा-2, गुरार-1	
			895	0.15	0.15		0.00	0.00	
24	बाबूलाल ब गनेश	भूमिस्वामी	821	0.78	0.31	0.00	0.00		

25	कमलेश पि. आलम हल्लू पि. आलम मीराबाई पति भोपत पवन अजेन्द्र पि भोपत	भूमिस्वामी	438	0.67	0.67	0.00	0.00	कुओं पक्का-1,सेगर-1
26	कमलेश पिता वल्देव	भूमिस्वामी	738/2	0.50	0.50	0.00	0.00	सागौन-1,बमूसा-1
27	कीर्ति बेवा महाराजसिंग	भूमिस्वामी	865	0.78	0.78	0.00	0.00	
28	प्रथम सिंह पिता इमरत सिंह	भूमिस्वामी	509/2	0.80	0.80	0.00	0.00	सुबबूल-2,रैजा-2,घमसा-1
29	कमलेश पि. दुलिचंद पटैल	भूमिस्वामी	415	0.51	0.00	0.51	0.00	सुबबूल-5,रैजा-1,गंवार-1
			417/2	0.93	0.00	0.93	0.00	
			417/4	0.92	0.00	0.92	0.00	
30	विकाश पि. सुरेन्द्र जैन	भूमिस्वामी	417/1	0.23	0.00	0.23	0.00	
			417/5	0.23	0.00	0.23	0.00	
			417/6	0.23	0.00	0.23	0.00	
			417/7	0.23	0.00	0.23	0.00	
31	पुष्पेन्द्र पि. दुलिचंद पटैल	भूमिस्वामी	417/8	0.46	0.00	0.16	0.00	
			407	0.81	0.00	0.67	0.00	सागौन-3,सीसम-1,अमरुद-1,कोहा-1,नीम-1
			412/1	0.70	0.70	0.00	0.00	खीर-4,गुवार-1
32	कमला पिता रगवर मिहीलाल लीलाधर पानबाई पिता फुलु वृजरानी बेवा फुलू नंदलाल पिता लछमन रगवीर नंदराम हम्मीर पिता दम्भू शातिबाई बैनीबाई तुलसीबाई कौशाबाई पिता दम्भू नन्नु जवार पिता बल्ले हल्की बेवा बल्ले रामेश्वर चौदे बादम सिंह गजराज पिता भुजबल रामेश्वर चौदे बादम पिता दम्भू गोकल पिता रतीराम भगवानसिंग मानसिंग बा कलू नाबा पिता अर्जुनसिंग सविता पिता अर्जुनसिंग वली भाइ भगवानसिंग	भूमिस्वामी	889	1.23	1.23			महुआ-3,आम-1,बेल-1
33		भूमिस्वामी	242/2	0.13	0.10	0.00	0.00	कुओं पक्का,गुवार-2
34	कीर्ती पति राजेन्द्र आदित्य आर्यम पिता राजेन्द्र कुमार सा. दमोह	भूमिस्वामी	242/3	0.13	0.00	0.10	0.00	सुबबूल-1
35	कपूरीबाई पिता खिलान	भूमिस्वामी	515/1	0.75	0.75	0.00	0.00	रैजा-4,घमसा-2,सुबबूल-1,यूकेलिपटिस-2
			516/1	0.13	0.13	0.00	0.00	रैजा-1,सागौन-2
			517/1	1.3	0.27	0.00	0.00	रैजा-1,घमसा-1
36	भूरत राजेश अरविन्द पि. जगबहादुर	भूमिस्वामी	515/2	0.75	0.75	0.00	0.00	कुओं पक्का,सुबबूल-5
			516/2	0.13	0.13	0.00	0.00	रैजा-1
37	कुंवरसिंग विजय सिंह पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	755	1.05	1.05	0.00	0.00	कुओं पक्का
38	सूरतसिंग पिता राधे	भूमिस्वामी	404/2	1.98	0.16	0.00	0.00	
39	कोमल पि. राधे	भूमिस्वामी	464	0.42	0.42	0.00	0.00	अमरुद-2,बेरी-5,बेल-1,नीम-1,सुबबूल-1, यूकेलिपटिस-1
			465	0.74	0.74	0.00	0.00	सुबबूल-2
			467/1	0.52	0.52	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 बेरी-3
			905/1	0.12	0.12	0.00	0.00	शिरोल-1
			918	0.17	0.17	0.00	0.00	
40	कन्हैयालाल पिता गौरीशंकर	भूमिस्वामी	442	0.61	0.61	0.00	0.00	
			848	0.05	0.05	0.00	0.00	

40	कलू पिता ठलू	भूमिस्वामी	504	0.4	0.4	0.00	0.00	कुओं पक्कू
			787	0.61	0.61	0.00	0.00	कुओं पक्कू-1, गारा मिरा-2, यूकेलिपटिस-6, महानीम-1
			957	0.03	0.00	0.03	0.00	
42	राजासिंह पिता राजेन्द्र रेखा किरन अर्चना कल्पना प्रीती पिता राजेन्द्र अशोकशानी बेवा राजेन्द्रसींग	भूमिस्वामी	13	1.21	0.33	0.00	0.00	यूकेलिपटिस-1, रेंजा-2, सुबबूल-3, रॉस मिरा-2, सुबबूल-9, रेंजा-2, बमूरा-2
43	कलू पिता रतन	भूमिस्वामी	463	0.52	0.52	0.00	0.00	
			873	0.19	0.19	0.00	0.00	
44	मंदिर श्री परमहंस स्वामी जी गुफा मंदिर महत्तमकार रामाधार दास पि. उदयमान पाठक चैला जमना दास प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर	भूमिस्वामी	446	0.98	0.98	0.00	0.00	बमूरा-1, गुवार-1
			456	0.63	0.63	0.00	0.00	
			762	0.63	0.63	0.00	0.00	सुबबूल-2
45	मीरा पति दुलचंद पटैल	भूमिस्वामी	406	0.81	0.12	0.00	0.00	
			413	1.52	0.00		1.52	बबूल-1
			417/3	0.46	0.00		0.26	
46	खिलान पिता जवाहर	भूमिस्वामी	882/3	0.74	0.74	0.00	0.00	ऑवला-10, अमरुद-1, रेंजा-1
47	ममता पति राजू	भूमिस्वामी	827	0.69	0.69	0.00	0.00	बहेडा-1, महूआ-1, सुबबूल-1
48	महेन्द्र पिता फेरन सिंह	भूमिस्वामी	497	0.58	0.58	0.00	0.00	
			929/1	0.72	0.72	0.00	0.00	चिरोल-1
49	महादेव पिता अनंतसींग उमाराणी पति महादेव	भूमिस्वामी	883/2	0.84	0.84	0.00	0.00	
50	मोहन पिता नथुवा	भूमिस्वामी	876/1	0.27	0.27	0.00	0.00	
			876/6	0.40	0.40	0.00	0.00	
51	मुला खुम्मा उमेदी पिता मोहनसींग लेखनसींग पि उमेदी कमल हनमत कल्याण नीलेश शांति आरती पि लेखनसींग सियारानी बेवा लेखनसींग	भूमिस्वामी	903	0.28	0.28	0.00	0.00	कुओं पक्कू, यूकेलिपटिस-1
52	मितदू पिता रतन सुषभा बेवा रतन राजू पिता साधू खूबसींग पिता मुन्ना चिन्की बाई चैनाबाई पिता मुल्ला रामकली जनका श्यामबाई पिता बबुआ देवी अशोक प्रेमसींग हल्ले सधावती दशोदा बा रामसींग जितेन्द्र लक्ष्मी नाबा पिता तरवत मीनारानी बेवा तरवर	भूमिस्वामी	798	1.09	0.03	0.00	0.00	
53	प्रियंका पति मंगल सिंह	भूमिस्वामी	427/2	0.4	0.4	0.00	0.00	सागोन-2, सोबबूल-3, रेंजा-1
54	मोहन पिता नत्थू सींग	भूमिस्वामी	799	0.64	0.32	0.00	0.00	ऑवला-3, बेरी-1
			801	0.67	0.67	0.00	0.00	सागोन-3, सुबबूल-1, रुसल्ला-1
55	शिबू राजू तातू कमलेश किरसू पिता गोरेलाल शकुन पिता गोरेलाल गंगा पिता दलू ग्याबाई बेवा दलू शीलरानी बेवा मुन्ना दरारिया वारी बेवा गोरेलाल सरस्वती पिता आलम शिवरानी बेवा	भूमिस्वामी	741/1	0.37	0.20	0.00	0.00	

	आलम सिलोचना उर्फ रामरती पति रंजीत							
56	लखन तुलसी ताराचन्द केलाश ना.बा. ममता भारती रानी बा. पि. नन्दराम बली व खुद मों लीलाबाई बेबा नंदराम	भूमिस्वामी	741/2	1.38	0.75	0.00	0.00	1979
57	शिबू राजू तांतू कमलेश किस्सू पिता गोरेलाल शकुन पिता गोरेलाल गंगा उर्फ गंधर्व पिता दलू न्याबाई बेबा दलू शीलरानी बेबा मुन्ना दरारिया वारी बेबा गोरेलाल सरस्वती पिता आलम सिलोचना उर्फ रामरती पति रंजीत, लखन तुलसी ताराचन्द केलाश मीरा ममता भारती रानी व नन्दराम लीलाबाई	भूमिस्वामी	742/1	0.35	0.61		0.00	
			742/2	1.39		0.00	0.00	
			742/3	0.40		0.00	0.00	
58	सिलोचना पति रंजीत सिंह	भूमिस्वामी	485	0.56	0.56	0.00	0.00	सेमर-1
59	शिबू राजू तांतू कमलेश पिता गोरेलाल शकुन पिता गोरेलाल गंधा पिता दलू न्याबाई बेबा दलू सुनीता पति किस्सू कल्पना पिता किस्सू शीलरानी बेबा मुन्ना सरस्वती पिता आलम	भूमिस्वामी	928	0.74	0.74	0.00	0.00	
60	विजयसींग पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	262	2.23	2.03	0.00	0.00	नलकूप-1, बगूरा-1, रेंजा-2, गुरार-8, कंजी-1, नीम-1, सुबबूल-1, सेमर-1, यूकेलिपटिस-2
61	विन्दावन पिता रघुनाथ	भूमिस्वामी	750/106 7	0.61	0.61	0.00	0.00	
			916	0.82	0.82	0.00	0.00	कुओं पक्का अमरुद-10, आम-2,
62	गिरजाबाई पति भगोले	भूमिस्वामी	433	1.21	1.21	0.00	0.00	कुओं पक्का, यूकेलिपटिस-1, सोबबूल-10, रेंजा-4, गुरार-1, चिरहोल-4, सागोन-10, सीतम-1, बेरी-5
63	हीराबाई बेबा रामप्रसाद	भूमिस्वामी	896	0.13	0.13	0.00	0.00	कुओं पक्का
			899	0.04	0.04	0.00	0.00	घमरा-1
			901	0.13	0.13	0.00	0.00	घमरा-1, चिरौल-1
64	विश्वू पिता शोभालाल	भूमिस्वामी	459	0.62	0.62	0.00	0.00	4 आम (8 पौधे), 10 अमरुद, 2 जामुन 4 निंबू (3 पौधे), सोबबूल-21, रेंजा-3, सेमर-1
			461/1	0.08	0.08	0.00	0.00	सुबबूल-7, नीम-1, सागोन-1
65	कमलरानी बेबा अर्जुन गिल्लू हल्कू पिता अर्जुन हीरा निरपत जवाहर नारान निरपत लोकमन रतीराम पिता प्राणसींग बत्तो पिता प्राणसींग नन्हेभाई पिता जवाहर फूलरानी बेबा जवाहर माखन रामअदतार पिता नारान मनकुमार बेबा नारान कल्लोबाई बेबा	भूमिस्वामी	435	1.21	1.21	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बबूल-2, गुरार-1, चिरहोल-2
			906	0.10	0.00	0.10	0.00	

	निरपत मायारानी.बिहारी बंसी गोविंद बीरेंद्र बीरिंग पि. निरपत							
66	गिरजेश पिता खूबसींग सुवको पति खूबसींग	भूमिस्वामी	783 862	1.25 0.40	1.25 0.40	0.00 0.00	0.00 0.00	कुओं पक्का-1,बास मिरा-3, बहेरा-1, सागोन-2 कुओं पक्का-1,गुरार-1, सेमर-1, बहेरा-1, महुआ-1
67	हीरा रगवीर संतोष बंदू राजकुमार पिता दयाराम सुहागरानी देवा दयाराम	भूमिस्वामी	476/2	1.03	1.03	0.00	0.00	कुओं पक्का
68	हुकमरानी पति विजय सिंह	भूमिस्वामी	260	1.11	1.11	0.00	0.00	कुओं पक्का, गुरार-5,खैर-2,रेंजा-2,नीम-5, सुबबूल-4,सागोन-26,गुंजा-1,शीशम-2
69	मुरलीधर पि. बारेलाल वीरेंद्र महेश नाबा पिता महराजसींग संध्या नाबा पिता महराज सींग बली व खुद मां कर्तीवाई देवा महराजसींग	भूमिस्वामी	499	1.07	1.07	0.00	0.00	
70	हंसी देवा आलम गोपत हल्कू कमलेश पिता आलम डुमना पिता लछमन राजराज पिता ठलू	भूमिस्वामी	500 585	2.08 1.00	2.08 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
71	भगवानसींग पिता अर्जुन सींग	भूमिस्वामी	496/2 503	0.57 0.72	0.57 0.72	0.00 0.00	0.00 0.00	कुओं पक्का-1रेंजा-5
72	हल्लेमाई पि.विष्णू	भूमिस्वामी	462	1.21	1.21	0.00	0.00	सुबबूल-63,बमूरा-4,गुरार-1
73	भरत मजबूत रामकिशन पिता गोकल शीला चन्द्रा सीता पिता गोकल	भूमिस्वामी	770 922 923	2.5 0.04 0.04	2.18 0.00 0.00	0.00 0.04 0.00	0.00 0.00 0.00	कुओं पक्का अमरुद-10,ओवला-1,
74	भबूते पिता मिटदू कल्लो पिता मिटदू परम नंदराम वीरसींग पिता मिटदू मुन्नी सुकवती पिता मिटदू सियारानी देवा मिटदू	भूमिस्वामी	17	0.80	0.15		0.00	कुओं पक्का ओवला-1,बेरी-2,सोबबूल-5
75	भगवानसींग मानसींग बा कलू नाबा पिता अर्जुनसींग सविता पिता अर्जुनसींग बली भाइ भगवानसींग	भूमिस्वामी	582 247/2	0.84 2.13	0.34 0.86	0.00 0.00	0.00 0.00	सेमर-1,गुरार-1
76	भालू पिता परसादी प्रेमबाई पति भालू	भूमिस्वामी	832/2	0.69	0.69	0.00	0.00	
77	भूपेन्द्रकुमार पिता हल्काई	भूमिस्वामी	800	0.57	0.57	0.00	0.00	गिंडू-3,मुनगा-1,रुसल्ला-1
78	भगवानसींग पि हरप्रसाद	भूमिस्वामी	411/3/2 420 422/1 484/3	0.54 0.34 0.13 0.44	0.54 0.34 0.13 0.44	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	कुओं पक्का , नलकूप बमूरा-2,सुबबूल-2 कंजी-1,सागोन-2 सागोन-3, बास मिरा-1, गुरार-2, सुबबूल-5, खैर-2
79	भगोले पि. लाड.ले नन्हेलाल पि. कूरे	भूमिस्वामी	491/3	0.01	0.01	0.00	0.00	
80	परमलाल पिता कूरे	भूमिस्वामी	445/2 447/2	0.4 0.34	0.40 0.34	0.00 0.00	0.00 0.00	सागोन-2, सुबबूल-6 रेंजा-1
81	रामचरन अनंतराम रामदास राधाबाई सविता लीलावती प्रेमबाई पिता परसराम	भूमिस्वामी	819	0.32	0.02	0.00	0.00	
82	प्रेमबाई पति कूरे	भूमिस्वामी	430	1.21	1.21	0.00	0.00	कुओं पक्का बॉस बिरा-1,सेमर-2,बमूरा-1,नीम-1

83	पूनाबाई पिता रामसींग	भूमिस्वामी	875	2.02	2.02	0.00	0.00	कुओं पक्का
84	पंचो बेवा बदनसींग सूरजबाई बैजंती पिता बदनसींग	भूमिस्वामी	860	0.43	0.43	0.00	0.00	
			88671	0.76	0.76	0.00	0.00	
85	गोपाल रामस्वरूप ममता पिता परमलाल इमरती पत्नि ठाकुरदास चंद्रभान रवेन्द्र संध्या सुनिता संगीता सीमा पिता ठाकुरदास गेंदा बाई बेबा परषोत्तम रामअवतार राममिलन वंदना प्रियंका पिता परषोत्तम	भूमिस्वामी	408/1	0.55	0.55	0.00	0.00	सुबबूल-8, बमूरा-2, गुरार-1, यूकेलिपटिस-1
			410/1	0.32	0.32	0.00	0.00	
			484/1	0.70	0.70	0.00	0.00	कुओं पक्का, नलकूप सुबबूल-2, कंजी-1, बहेडा-1, कसई-1, बॉस बिरा-1, रेंजा-2
86	प्रकाश पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	766/1	0.32	0.3	0.00	0.00	अमरुद 5,
			766/3	1.06	1.06	0.00	0.00	
87	लखन पिसा गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/1	0.08	0.08	0.00	0.00	
88	लखन प्रकाश दशरथ पिसा गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/2	0.03	0.03	0.00	0.00	आम 2, बॉस 1 बबूल 20
89	प्रकाश पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/3	0.47	0.47	0.00	0.00	आम 2, कटहल 1, अमरुद 2
90	लखन पिा गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/4	0.48	0.48	0.00	0.00	
91	लखन प्रकाश दशरथ पिसा गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/5	0.01	0.01	0.00	0.00	कुओं पक्का,
92	दशरथ पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/6	0.14	0.07	0.00	0.00	
93	लखन पिा गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/1	0.07	0.07	0.00	0.00	यूकेलिपटिस 7, बबूल 13, बेरी 2
94	दशरथ पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/2	0.66	0.02	0.00	0.00	निंबू 2, शीताफल 1, गुरार-1, सुबबूल-7
95	प्रकाश पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/3	0.2	0.2	0.00	0.00	
96	लखन पिा गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/4	0.2	0.2	0.00	0.00	आम 1
97	दशरथ पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/5	0.2	0.2	0.00	0.00	निंबू 2, शीताफल 1, सुबबूल-8, बास बिरा-2
98	लखन प्रकाश दशरथ पिसा गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/6	0.01	0.01	0.00	0.00	कुओं पक्का,
99	प्रह्लाद सींग पिता धीरज सींग	भूमिस्वामी	487	0.08	0.08	0.00	0.00	खेर-3, बबूल-3, सुबबूल-48
			490	0.04	0.04	0.00	0.00	सुबबूल-10, गुरार-2
			496/1	1.33	1.33	0.00	0.00	कुओं कच्चा
100	प्रह्लाद पि उत्तम	भूमिस्वामी	914	0.15	0.15	0.00	0.00	कुमी-1
101	प्रमा पति भगवान सींग	भूमिस्वामी	493	0.55	0.55	0.00	0.00	आम-1, बेरी-1
102	भूमबाई आरती पिता भगवानदास राजरानी बेवा घनसींग	भूमिस्वामी	416	1.52	1.52	0.00	0.00	गुरार-1, रुसल्ला-1, रेंजा-1
			907	0.10	0.10	0.00	0.00	
103	रमेश पिता ब्रजलाल रानीबाई पुत्री मदोले	भूमिस्वामी	240/1	0.05	0.05	0.00	0.00	बेरी-2
			244/1	0.26	0.26	0.00	0.00	कुओं पक्का, मकान कच्चा (40'30) बेरी-2
104	प्रभुदयाल पिता विष्णु	भूमिस्वामी	460	1.21	1.21	0.00	0.00	कुओं पक्का, सुबबूल-21
105	रंजीत सींग पिता मल्हू सींग	भूमिस्वामी	492/1	0.41	0.41	0.00	0.00	कुओं पक्का, तालाब, सुबबूल-15, बबूल-4
106	रमेश महेन्द्र निर्मय राजेन्द्र पिता मानकलाल पानबाई बेवा मानकलाल गुडडी सुशीला जोरा पिता मानकलाल सतरूप सुनील पिता शेरसींग	भूमिस्वामी	439	0.10	0.10	0.00	0.00	सागोन-13
			457	1.51	1.51	0.00	0.00	

107	रमेश महेन्द्र निर्मय राजेन्द्र गुडडी सुशीला गोरान् पिता मानकलाल सतरूप सुनील विनोद सुनील रजनी संगीती सपना आशारानी पिता शेरसिंग	भूमिस्वामी	471	1.17	1.17	0.00	0.00	
108	रमेश मोहन निर्मय राजेन्द्र पिता मानकलाल सतनाम दारासिंग पिता नारायण सौंग पानबाई बेवा मानकलाल गुडडी सुशीला गोरान् पिता मानक सतरूप पि. शेरसिंह	भूमिस्वामी	455/2	1.32	1.32	0.00	0.00	महुआ-2, बेरी-4, तालाब
			782	0.50	0.50	0.00	0.00	सुबबूल-11, बमूरा-1, गुरार-2, चिहरोल-1
			789/2	0.26	0.26	0.00	0.00	सोबबूल-1
109	श्रीबाई बेवा लालसिंग राधारानी बेवा धनसिंग अभय छोद् नाबा पिता लालसिंग अजोबाई पिता लालसिंग पा मां व खुद श्रीबाई बेवा लालसिंग जाहर नाबा पिता तुलसीराम पा व खुद मां श्रीबाई बेवा तुलसीराम	भूमिस्वामी	887	2.06	2.06	0.00	0.00	कुओं पक्का
110	श्रीबाई बेवा तुलसीराम	भूमिस्वामी	261	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का, सुबबूल-4, रेंजा-1, गंरार-3, खैर-1, मुंजा-1, कंजी-1
111	राघवेन्द्र रुपेन्द्र पिता कपन कुसुमरानी पति कपन कुसुमरानी शिवम ना.बा. पिता धर्मेन्द्र कमलेशरानी बेवा धर्मेन्द्र	भूमिस्वामी	253	0.96	0.96	0.00	0.00	कुओं पक्का, रेंजा-2, सेमर-1, गुरार-3, कंजी-2, खैर-1, रुसल्ला-1, सुबबूल-1
			509/3	0.15	0.15	0.00	0.00	सुबबूल-3, घमरा-1
			510	0.83	0.83	0.00	0.00	सुबबूल-4
112	अमरेंद्र सिंह योगेंद्र सिंह पि. रामकृष्ण	भूमिस्वामी	427/1	1.18	1	0.00	0.00	
113	अमरेंद्र सिंह योगेंद्र सिंह नंदनी पि. रामकृष्ण बेबीबाई पि. रामकृष्ण	भूमिस्वामी	450/2	1.12	1.12	0.00	0.00	गुरार-1, कसई-1, चंगर-2, बमूरा-2, रेंजा-1, खैर-6, सुबबूल-1
			426/5	0.42	0.42	0.00	0.00	गुरार-1, सुबबूल-3, सागौन-1
114	प्रथ्वी सिंह पि. अमर सिंह	भूमिस्वामी	426/2	0.42	0.19	0.00	0.00	
115	अमरेंद्र सिंह योगेंद्र सिंह पि. रामकृष्ण		426/1	0.54	0.54	0.00	0.00	सुबबूल-1
116	रामकिशन बल्द हरप्रसाद	भूमिस्वामी	484/2	0.43	0.43	0.00	0.00	सुबबूल-3, बांस बिरा-4, गंरार-1
117	राममिलन पिता कामताप्रसाद	भूमिस्वामी	428	0.71	0.71	0.00	0.00	कुओं पक्का-1
			440/2	0.28	0.28	0.00	0.00	कुओं पक्का-1
			443	0.4	0.4	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, सेमर-1, बमूरा-1, महानीम-1, गुरार-1, सुबबूल-9
			444	0.19	0.19	0.00	0.00	
			445/1	0.92	0.92	0.00	0.00	सेमर-1, गुरार-2, सागौन-2, सुबबूल-18, बमूरा-2
118	राममिलन राजेश्वरी जयश्री विन्देश्वरी राजामाला राजबिधा उर्फ नीतू पिता कामता प्रसाद	भूमिस्वामी	440/1	0.59	0.59	0.00	0.00	नलकूप-1, आंवता-2, बेरी-3
119	देवीसिंग अशोक प्रेमसिंग हल्केभाई रामसिंग जितेन्द्र पि. तखर सत्यवती लक्ष्मी दशोदा पुत्री तरवर भीनारानी बेवा तरवर राजू परसोत्तम पिता साधूराम लक्ष्मी पति कमोद सिंह बेदी पति मनोहर	भूमिस्वामी	830	1.8	1.8	0.00	0.00	अनरुद-4, आम-6
120	लक्ष्मी पति कमोद सिंह बेदी पति मनोहर	भूमिस्वामी	831	2.41	2.41	0.00	0.00	

121	रामरानी पति महीप सींग	भूमिस्वामी	867	0.87	0.87	0.00	0.00	
122	धनिराम पिता रामचरण	भूमिस्वामी	429	0.53	0.53	0.00	0.00	कुओं पक्का, बेरी-9, सागोन-3, शीशम-1
			475/2	0.53	0.53	0.00	0.00	कुओं पक्का,
			760	0.24	0.24	0.00	0.00	
123	राजेन्द्र पिता शिवमंगल	भूमिस्वामी	458/1/1	0.56	0.45	0.00	0.00	
124	मायास्वामी पत्नि रामाधार	भूमिस्वामी	458/1/2	0.55	0.45	0.00	0.00	कुओं पक्का,
125	रामाधार पि शिवमंगल	भूमिस्वामी	458/2	1.11	0.90	0.00	0.00	
126	राजू धीरत पिता जवाहर प्रताप सीताराम फेरन खुमान पिता रामचरण सदरानी बेवा रामचरण श्रीबाई पिता रामचरण	भूमिस्वामी	449	0.25	0.25	0.00	0.00	
			925	0.06	0.06	0.00	0.00	
			927	0.34	0.34	0.00	0.00	
127	रगवीर नंदराम हम्मीर पिता दम्पू शांति कौशा बेवी भग्गी तुलसा पिता दम्पू	भूमिस्वामी	263	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का, गुरार-1, रेंजा-1
128	रगवीर पिता बारेलाल	भूमिस्वामी	241	0.34	0.34	0.00	0.00	बमूरा-3, रेंजा-2, सेमर-1, सुबबूल-2
			251	0.48	0.48	0.00	0.00	
129	शांति कोमलबाई बारेलाल बडीबहू पिता शंकर रामकेश ना.बा.पि व पालक महेन्द्र सिंह	भूमिस्वामी	396	0.85	0.12	0.00	0.00	सुबबूल-1
130	शारदाबाई पति वीरेन्द्र सिंह	भूमिस्वामी	483	0.62	0.62	0.00	0.00	सुबबूल-3, बमूरा-2, रेंजा-1
131	संतोष पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	591	0.03	0.03	0.00	0.00	
132	सीताराम पिता रामचरण	भूमिस्वामी	837	0.87	0.08	0.00	0.00	कुओं पक्का
133	सीताराम पि प्रेम	भूमिस्वामी	411/1	1.34	1.34	0.00	0.00	सेमर-1, गुरार-1, बमूरा-1
134	सपन जैन पि दीपचंद जैन	भूमिस्वामी	780	1.15	0.00	0.00	1.15	
			781/1	0.43	0.00	0.00	0.43	
			781/2	0.32	0.00	0.00	0.32	
			781/3	0.40	0.00	0.00	0.40	
135	सरोजबाई पति इन्द्राज सिंह	भूमिस्वामी	486	1.12	1.12	0.00	0.00	सुबबूल-1
136	सरस्वती बाई पिता आलम	भूमिस्वामी	454	0.81	0.81	0.00	0.00	रेंजा-1
			473	0.71	0.71	0.00	0.00	
137	सरस्वतीबाई बेवा मोतीलाल	भूमिस्वामी	451	0.36	0.36	0.00	0.00	सागोन-10, बमूरा-1
			478	0.28	0.28	0.00	0.00	
			479	1.72	1.72	0.00	0.00	
138	सोवत सींग पिता हरीराम	भूमिस्वामी	472/2	0.66	0.66	0.00	0.00	कुओं पक्का
			786	0.60	0.60	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, सागोन-18, खमेर-1, बास गिरा-1
139	मनमोहन संतोष सकुन चंदा गीता मीरा पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	584	0.70	0.70	0.00	0.00	
			586	0.20	0.20	0.00	0.00	सुबबूल-4
			587/2	0.30	0.30	0.00	0.00	नलकूप-1, शीशम-1, गुरार-1
			592/5	0.58	0.58	0.00	0.00	रेंजा-1
140	सुहागरानी बेवा नारायण सिंह	भूमिस्वामी	466	0.87	0.87	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 अमरुद-1 सागोन-3, यूकेलिपटिस-1, गुरार-1, सुबबूल-4
141	सुरेश कमली विनीता लीला श्यामरानी बेवा तिजई	भूमिस्वामी	829	0.72	0.72	0.00	0.00	महुआ-3
142	सत्येकान्द्र पिता रामकिशन लोधी	भूमिस्वामी	411/3/3	0.21	0.21	0.00	0.00	बमूरा-2
143	सतनाम पिता औंकर	भूमिस्वामी	882/4	0.74	0.74	0.00	0.00	तालाब, चिरोल-2

144	सतनाम दारासिंह पि. नरान सिंग राजकुमार राजेन्द्र सिंग बालिग जितेन्द्र सिंग ना.बा. पि. सुलतान सींग बली व खुद मों जानकी बाई बेवा सुलतान सींग	भूमिस्वामी	455/4	1.81	1.51	0.00	0.00	नलकूप-1 बेरी-1, तालाब
			789/1	0.27	0.27	0.00	0.00	गुरार-1, यूकेलिपटिस-10, सागोन-1
145	सूरतसींग पिता राधे	भूमिस्वामी	467/2	0.35	0.35	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बेरी-2,
			470	1.2	1.2	0.00	0.00	
			905/2	0.15	0.15	0.00	0.00	थिरोल-1
			909/2	0.29	0.29	0.00	0.00	
146	सूरतसींग राजेश पिता जंगबहादुर	भूमिस्वामी	514	0.59	0.59	0.00	0.00	सुबबूल-5
147	सूरज पिता कूरे	भूमिस्वामी	441	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का बेरी-6, नीम-1, सोमबूल-2
148	उधमसींग पिता बहादुरसींग रामरानी बेवा बहादुरसींग	भूमिस्वामी	884	1.14	1.14	0.00	0.00	
			894	0.04	0.04	0.00	0.00	
			898	0.21	0.21	0.00	0.00	गुरार-1
149	डुमना पिता लछमन बबलू बालचंद पिता कपूरा राजकुमारी पिता भबूदा	भूमिस्वामी	474	1.46	1.46	0.00	0.00	
150	उजागर पिता रामसिंह	भूमिस्वामी	587/1	1.45	1.45	0.00	0.00	नलकूप-1, बहेरा-2, शीशम-1
151	दयाराम पि. फेरन	भूमिस्वामी	929/2	0.72	0.72	0.00	0.00	
152	दुरगसींग फेरनसींग रामकिशन सुरेश पिता छोटेलाल	भूमिस्वामी	243	1.90	0.90	0.00	0.00	कुओं कच्चा, बेरी-2
153	दुर्गा बेवा दीना रामसखी धनबती बर्षा राजकुमार रामसेबक पि. दीना	भूमिस्वामी	437	0.67	0.67	0.00	0.00	
154	छत्तरसींग पिता शंकर दीपेश चंद्रभान नाबा पिता छत्तरसींग कीर्ति पिता छत्तरसींग	भूमिस्वामी	882/2	0.74	0.74	0.00	0.00	
155	देवेन्द्र पिता महाराज सिंह	भूमिस्वामी	11	1.25	0.22	0.00	0.00	बहेरा-2, बॉस मिरा-1, यूकेलिपटिस-1, आगोन-2
156	देवराज सिंह पिता महाराज सिंह	भूमिस्वामी	12	1.25	0.25	0.00	0.00	बमूरा-2, रेंजा-1, सागोन-2, बॉस मिरा-1, नलकूप
157	देवेन्द्रसींग वीरेन्द्रसींग देवराजसींग राजेन्द्रसींग पिता महाराज सींग	भूमिस्वामी	15	1.07	0.11	0.00	0.00	सागोन-2, बास मिरा-2, सुबबूल-10, रेंजा-2, बमूरा-2
			18	0.06	0.04	0.00	0.00	सुबबूल-3, बॉस मिरा-2, यूकेलिपटिस-2, रेंजा-2
			19	0.95	0.47	0.00	0.00	सुबबूल-3, यूकेलिपटिस-2, सागोन-1, बॉस मिरा-1
			20	3.28	1.60	0.00	0.00	रेंजा-1, गुरार-4, घमरा-4, सुबबूल-7, सागोन-1, बॉस मिरा-1, कसाई-2, सेगर-1, कंजी-1
158	वीरन सींग पिता मल्हूसींग	भूमिस्वामी	492/2	0.40	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का बेरी-10, बबूल-8, सोमबूल-19
159	देवेन्द्र पिता जे.पी.	भूमिस्वामी	886/2	0.85	0.85	0.00	0.00	
160	बद्री पि. शंकर	भूमिस्वामी	393	1.95	0.80	0.00	0.00	गुरार-1
			394	0.89	0.27	0.00	0.00	सागोन-2
161	तुलसीराम पि. हरप्रसाद	भूमिस्वामी	410/2	0.35	0.35	0.00	0.00	कुओं पक्का बेरी-3, बबूल-1, सुबबूल-3, खैर-2, गुरार-1, सेगर-1, नी म-1 अमरुद-20, बेल-4
162	फेरन पिता रामचरण लक्ष्मीरानी पति फेरन	भूमिस्वामी	832/1	0.68	0.68	0.00	0.00	अमरुद-2, जागुन-1

163	चंदन शिवराम सूरज पिता गोटीराम सावित्री पिता गोटीराम फूलरानी बेवा गोटीराम	भूमिस्वामी	877	1.21	1.21	0.00	0.00	कुओं पक्का
164	धीरत पिता घसीटा बड़ीबहू बेवा घसीटा रूपरानी बेवा फुल्ला केशरबाई पिता रामसींग शांतिबाई बेवा रामदयाल कृष्णकुमार धनीराम पिता तखतसींग सूरजबाई रेवतीबाई कल्लोबाई गीताबाई पिता तखतसींग कमलाबाई बेवा तखतसींग राजाराम मुन्नीबाई गुडडीबाई मनबाई हल्ली वंदना जीरा पिता रामदयाल	भूमिस्वामी	892	1.59	1.59	0.00	0.00	बहेरा-1
165	जयसींग भरत रोहन कामिनी रवि चमेली उमा पि चित्तर कमलाबाई बेवा चित्तर	भूमिस्वामी	915/1	0.22	0.22	0.00	0.00	
166	नारायण जगदीश जयसींग परसराम पिता फूलसींग	भूमिस्वामी	475/1	0.28	0.28	0.00	0.00	कुओं पक्का
			434	0.62	0.62	0.00	0.00	कुओं पक्का
			436	0.41	0.41	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बमूरा-2
167	नंदराम पिता बिहारी	भूमिस्वामी	476/3	0.01	0.01	0.00	0.00	
			477	0.70	0.70	0.00	0.00	कुओं पक्का, आम-1, निंबू-1
168	नन्नेलाल पिता कूरे	भूमिस्वामी	469	0.58	0.58	0.00	0.00	कुओं पक्का, तालाब, यूकेलिपटिस-2, रुसल्ला-2, सागौन-2, चुबचूल-1
169	नोनेसींग हिम्मतसींग पिता चेतू सुमतरानी बेवा हल्काई हरीसींग पिता रमन सियारानी बेवा बैजनाथ कृष्णसींग इन्दरसींग पिता काशीराम जगरानी बेवा काशीराम द्रोपती पिता काशीराम	भूमिस्वामी	881	0.88	0.88	0.00	0.00	
170	जानकी बेवा कुन्दन मानसींग हीरालाल रतीराम पिता कुंदन सावित्री पिता कुंदन	भूमिस्वामी	779	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, तालाब रेंजा-1, आम-1, बमूल-4, खौर-1
171	तेजी उर्फ फूलरानी पति महादेव	भूमिस्वामी	412/2	0.80	0.80	0.00	0.00	गुरार-2, बमूरा-1, सेमर-1
172	नोना पि चेतू विदुघाबाई पत्नि नोना	भूमिस्वामी	888/1	0.68	0.68	0.00	0.00	औंयला-20, बेरी-2, महुआ-1
173	नंदराम पिता लक्षमन	भूमिस्वामी	888/2	0.67	0.67	0.00	0.00	महुआ-2
174	जीवन जगदीश रामकुमार पिता पन्नालाल अशोकरानी बेवा पन्नालाल	भूमिस्वामी	910	0.07	0.07	0.00	0.00	
			480	0.5	0.5	0.00	0.00	कुओं पक्का-1
			754	1.12	1.12	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बेरी-3, कंजी-3, सोबचूल-50
			785	0.48	0.48	0.00	0.00	जामुन-10, अमरुद-3, महानीम-1
175	अंजू पति अजय टंडन	भूमिस्वामी	411/3/1	0.30	0.30	0.00	0.00	
			419	0.17	0.17	0.00	0.00	
			422/2	0.34	0.34	0.00	0.00	गुरार-2
			452	1.13	1.13	0.00	0.00	

176	अशोक राकेश पिता टीकाराम कमला कल्लो क्रांति पिता टीकाराम	भूमिस्वामी	476/1	1.02	1.02	0.00	0.00	कुओं पक्का-1
177	अपनसिंग चंद्रहास सींग पिता जसरथ देववती अशोक कुमार रुकमन सीता हरीबाई पिता जसरथ	भूमिस्वामी	513	1.94	1.34	0.00	0.00	रेंजा-1,घमश-1,तालाब
178	अखलेशरानी पति प्रकाश	भूमिस्वामी	857	0.18	0.00	0.18	0.00	बेरी-7,
			858	0.15	0.00	0.15	0.00	
			861	0.33	0.33	0.00	0.00	
			863	0.20	0.2	0.00	0.00	
179	आँकार पिता नथुवा	भूमिस्वामी	876/3	0.67	0.67	0.00	0.00	
180	अजय पि. चंद्रनारायण टंडन	भूमिस्वामी	418	0.98	0.00	0.98	0.00	
181	राजाराम द्वारका महादेव पि. अनंतसींग राजकुमारी पि. अनंतसींग सोहन ज्योतिस दीक्षा स्वाती पि. रामअवतार शारदा बेबा रामअवतार	भूमिस्वामी	448	0.32	0.32	0.00	0.00	
182	राजाराम द्वारका महादेव राजकुमारी पिता अनंतसींग शांतिबाई पिता कड़ोरी सोहन ज्योति दीक्षा स्वाती पिता रामअवतार शारदा बेबा रामअवतार	भूमिस्वामी	859	0.19	0.19	0.00	0.00	
		भूमिस्वामी	926	0.40	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का
183	गंधर्व अमोल जगतसिंह पिता खिलान सियारानी बेबा खिलान	भूमिस्वामी	424	1.43	0.74	0.00	0.00	आम-1
184	सुरेन्द्र देवेन्द्र नीलेश पिता भगोले किरन हेमवती मालती कल्पना पिता भगोले गिरजाबाई बेबा भगोले अभिषेक हर्ष समीर विशाखा पि गोपाल रीना बेबा गोपाल	भूमिस्वामी	447/1	0.34	0.34	0.00	0.00	रेंजा-3,सेमर-1
		भूमिस्वामी	491/1	0.70	0.70	0.00	0.00	कुओं पक्का-1,कंजी-2, बबूल-2
		भूमिस्वामी	468	0.58	0.58	0.00	0.00	
185	पृथ्वी पिता अमरसिंह	भूमिस्वामी	450/1	1.13	1.13	0.00	0.00	कुभी-1,हड्डा-1,बपूर-3,मुबबूल-1 कुओं पक्का
186	गजराज सिंह पिता ठलू	भूमिस्वामी	825/2	0.09	0.09	0.00	0.00	
			826	0.84	0.84	0.00	0.00	
187	गौतम पिता नथुवा	भूमिस्वामी	876/2	0.27	0.27	0.00	0.00	
			876/5	0.40	0.40	0.00	0.00	बास मिरा-1
188	गोपाल पिता मदनगोपाल	भूमिस्वामी	891	0.50	0.50	0.00	0.00	
189	लटदू पिता कल्ला तिजियाबाई गंगोबाई पिता कल्ला	भूमिस्वामी	431	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का सागोन-3,यूकेलिपटिस-2,नीम-2
190	लटदू पिता कल्ला	भूमिस्वामी	432	0.78	0.78	0.00	0.00	
191	गन्धा पिता दलू म्याबाइ बेबा दलू शीलरानी बेबा मुन्ना शिबू रंजू तांतू ननाई पिता गोरेलाल शकुनबाई पुत्री गोरेलाल पथरियाबारी बेबा गोरेलाल सरस्वती पुत्री आलम कल्पना पुत्री	भूमिस्वामी	472/1	0.68	0.68	0.00	0.00	

	किस्सू सुनिता पति किस्सू							
192	लछमन आँकार पिता सुखदीन	भूमिस्वामी	737	0.68	0.20	0.00	0.00	बमूरा-1, सागौन-1, रेंजा-1
193	लखनलाल पिता परमोले	भूमिस्वामी	890	1.25	1.25	0.00	0.00	
194	लखन तुलसी ताराचन्द केलाश मीरा ममता भारती रानी ब नन्दराम लीलाबाई	भूमिस्वामी	749	1.22	1.21	0.00	0.00	
			750	0.4	0.4	0.00	0.00	
			751	0.74	0.74	0.00	0.00	सेमर-1, गुरार-1, रेंजा-1
195	लछमन आँकार पिता सुखदीन	भूमिस्वामी	752	1.21	1.21	0.00	0.00	
196	दिलीपकुमार बपू लक्ष्मीकांत पोंडे साण सागर	भूमिस्वामी	245/1	0.61	0.00	0.61	0.00	
197	गजराज कलू नन्नु संतोष परपोत्तम पिसरान ठलू हीरा उमा विमला पु०	भूमिस्वामी	501	0.80	0.80	0.00	0.00	
198	ठलू पचोबाई बेबा ठलू जगदीश प्रकाश ललताबाई पिता फेरन मथराबाई बेबा फेरन	भूमिस्वामी	502	0.47	0.47	0.00	0.00	कुओं पक्का
199	कुसुम रानी जोजे कृपण सीग	भूमिस्वामी	520	1.49	0.31	0.00	0.00	रेंजा-1, घमरा-1
200	काशीराम रज्जू नन्नेभाई श्रीराम पिसरान गोरेलाल गजरानी बेबा गोरेलाल मुकेश छोटेलाल पिस व पालक फूलसीग साण रोली भूपण खुनके	भूमिस्वामी	592/1	0.28	0.28	0.00	0.00	
201	जगदीश जगदीश पिता हर प्रसाद	भूमिस्वामी	756	1.05	1.05	0.00	0.00	कुओं कच्चा
202	जंदबहादुर घनसीग अंगदगोदन वा शिवराज श्रीराम पिताधमतिरु नाण्बाण पिता महीपसीग पाण्मां व खुद गुलाबराणी बेवा व महीपसीग	भूमिस्वामी	757	1.15	1.15	0.00	0.00	कुओं पक्का, बमूरा-2, यूकेलिपटिस-1
203	गायत्रीबाई पति ज्वालाप्रसाद	भूमिस्वामी	769	0.81	0.76	0.00	0.00	कुओं पक्का कौथा-1, महुआ-3, यूकेलिपटिस-1, सुबबूल-8
204	आशाराम राकेश पि. हरप्रसाद लीलावती बेबा हरप्रसाद रेखाबाई उषाबाई आरती पि. हरप्रसाद	भूमिस्वामी	866	0.78	0.78	0.00	0.00	
205	आँकार मोहन गौतम पिसा० नथुवा	भूमिस्वामी	876/4	0.01	0.01	0.00	0.00	कुओं पक्का
206	गजराज कलू नन्नु संतोष हीरा उमा विमला पिता ठलू पचोबाई बेबा ठलू जगदीश प्रकाश ललताबाई पिता फेरन मथराबाई बेबा फेरन	भूमिस्वामी	913	0.10	0.10	0.00	0.00	
207	रामसीग पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	408/2	0.55	0.55	0.00	0.00	सुबबूल-1, बमूरा-2, गुरार-1 रेंजा-1
			409/1	0.35	0.35	0.00	0.00	
208	रामसीग भगवानदास पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	411/2	0.5	0.5	0.00	0.00	सेमर-1, नीम-1, बमूरा-1, सुककूल-3
209	राजकुमार पिता अमरसीग	भूमिस्वामी	425	1.44	0.92	0.00	0.00	नीम-1, सोबबूल-9, बबूल-2 रुसल्ला-1, बेरी-8
			426/4	0.10	0.10	0.00	0.00	

210	विष्णु पिता शोमाराम	भूमिस्वामी	461/2	1.60	1.60	0.00	0.00	सुबबूल-10
211	रामेश्वर चौदे पिता दम्भू हुकमसींग मदन पिता बादल अशोकरानी बेवा बादल नर्मदाबाई पूनाबाई पिता बादल	भूमिस्वामी	462/104 9	0.52	0.52	0.00	0.00	सुबबूल-1
212	भगवानसींग पिता अमरसींग	भूमिस्वामी	482	1.31	1.31	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 बबूल-8 अमरुद-1, सोबबूल-9, सागौन-1, रैला-1, गुरार-1
			426/3	0.23	0.23	0.00	0.00	
213	गीता पति शालकराम रविजसवंत	भूमिस्वामी	738/1	0.50	0.22	0.00	0.00	सुबबूल-2
214	सुनीताआरतीअंजली पिताधरतिरु हीरलाल हीरलाल पिता कलू	भूमिस्वामी	738/3	0.42	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 अमरुद-1, नीदू-1, बेरी-5.
215	लखन प्रकाश दशरथ पिसा0 गोरेलाल	भूमिस्वामी	766/6	0.02	0.02	0.00	0.00	कुओं पक्का
216	शिवरानी बेवा रूपसींगतुलसबाई करुणानबाई पुत्री पिताधरतिरु रूपसींग	भूमिस्वामी	845	0.2	0.02	0.00	0.00	
2017	लक्ष्मीबाई उर्फ कुसुमबाईपति जगन्नाथ	भूमिस्वामी	893	0.11	0.00	0.11	0.00	
218	रघुनाथ हल्के पिता हरीराम फूलाबाई पुत्री हरीराम बदन रामदयाल पिसण देवीसींग जमनाबाई पुत्री देवीसींग	भूमिस्वामी	904	0.24	0.00	0.24	0.00	
			912	0.04	0.00	0.04	0.00	
219	सन्तो पु0 रामचंद हरीराम ब0 कलुबाकलू ब0 रतन	भूमिस्वामी	908	0.04	0.00	0.04	0.00	
220	अमरलालपिता नन्दाई	भूमिस्वामी	915/2	0.18	0.00	0.18	0.00	
221	रामसजीवन विनोद आशाराम राजेश अजय पिसरान सुदामा अनीता मालती कविता रामरती पुत्रियाँ सुदामा श्यामरानी उर्फ कमलाबाई बेबा सुदामा	भूमिस्वामी	920	0.12	0.12	0.00	0.00	
222		भूमिस्वामी	245/2	1.00	1.00	0.00	0.00	कुओं पक्का सुबबूल-3, बभूरा-3, गुरार-2, रैजा-2
223	भगवानसींग पिता अर्जुन सिंह	भूमिस्वामी	495	0.15	0.15	0.00	0.00	सागौन-2, सुबबूल-10, नीम-2, बास निरा-1, सेमर-1
224	मंदिर श्री हनुमन स्वामीजी गलाबटोरिया रगौली मुहण पिताधरतिरु पंच कमेटी आपचंद प्रबंधककलेक्टर महोदय सागर	भूमिस्वामी	507	0.48	0.48	0.00	0.00	
			508	0.95	0.95	0.00	0.00	साल-1, गुरार-1, रैजा-1
225	मायारानी पति उजागर सिंह लोधी सा0 रगौली	भूमिस्वामी	588/1	0.53	0.53	0.00	0.00	
			588/3	0.20	0.20	0.00	0.00	
			592/3	0.07	0.07	0.00	0.00	नीम-1, गुरार-1
			592/4	0.40	0.40	0.00	0.00	रैजा-3, सुबबूल-1, घमरा-2
226	मुकेश छोटू नावाण पिता पालक फूलसींग	भूमिस्वामी	592/2	0.28	0.28	0.00	0.00	गुरार-1
			588/2	0.40	0.40	0.00	0.00	
227	मनमोहन संतोष सकुन चंदा गीता मीरा पिता नाथुराम	भूमिस्वामी	583/1	0.50	0.50	0.00	0.00	चिरहेल-1, रैजा-1
228	प्रवेश बाई जोजे भगवानसींग दांगी	भूमिस्वामी	583/2	0.40	0.36	0.00	0.00	
229	अजब रानी बेबा अर्जुन सिंह	भूमिस्वामी	589/1	0.62	0.26	0.00	0.00	बहेरा-2

230	मनमोहन संतोष सकुन चंदा पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	590/2	0.20	0.14	0.00	0.00	
231	औंकार पिता सुखदीन मानसींग पिता पंचम	भूमिस्वामी	593/1	0.20	0.16	0.00	0.00	घमरा-1
232	मनमोहन संतोष सकुन चंदा पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	593/2	0.20	0.16	0.00	0.00	कुओं पक्का
233	रामचरन पिता परसराम	भूमिस्वामी	844/1	0.14	0.14	0.00	0.00	
234	अनंतराम पिता परसराम	भूमिस्वामी	844/2	0.15	0.07	0.00	0.00	
235	गोपाल सुरेन्द्र देवेन्द्र नीलेश पिता भगोले किरण हेमवती मालती कल्पना पिता भगोले गिरजाबाई बेवा भगोले अभिषेक हर्ष समीर विशाखा पि गोपाल रीना बेवा गोपाल	भूमिस्वामी	855/1	0.12	0.04	0.00	0.00	
236	सूरज पिता कूरे	भूमिस्वामी	855/2	0.11	0.08	0.00	0.00	
237	भौयाराम पि. राजाधर	भूमिस्वामी	259	1.00	0.35	0.00	0.00	
238	रामदास पिता मोहनसिंह गोविन्द पि नारायण गुलावाराणी बेवा नारायण बती पुत्री नारायण	भूमिस्वामी	739	0.97	0.97	0.00	0.00	बहेड़ा-2, नीम-5, सुबबूल-4, बॉस बिरा-2 सेमर-1
			740	1.05	1.05	0.00	0.00	
239	लखन तुलसी ताराचन्द केलाश मीरा ममता भारती रानी ब नन्दराम लीलाबाई बेबा नंदराम ताराचन्द पि. नंदराम 1. 10हे0 कय की	भूमिस्वामी	757/106 8	0.40	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का
-240	राजरानी पति विन्द्रावन	भूमिस्वामी	758	1.22	1.22	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, अमरुद-1
241	लटदू पिता कल्ला तिजियाबाई गंगोबाई पिता कल्ला	भूमिस्वामी	759	0.44	0.44	0.00	0.00	कुओं पक्का
242	राजाबेटी पति धीरजसींग	भूमिस्वामी	761	0.64	0.64	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बेरी-2
243	लखन तुलसी ताराचन्द केलाश मीरा ममता भारती रानी ब नन्दराम लीलाबाई बेबा नंदराम ताराचन्द पि. नंदराम 1. 10हे0 कय की	भूमिस्वामी	763	3.48	3.48	0.00	0.00	
244	लखन पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	766/2	0.16	0.16	0.00	0.00	
			766/4	1.06	1.06	0.00	0.00	
245	दशरथ पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	766/5	1.05	1.05	0.00	0.00	
246	राधिकारानी पति रमेश प्रसाद	भूमिस्वामी	788	1.69	1.69	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 अँवला-1 सोबबूल-8, चिरोल-3, बबूल-1
247	राजकुमारी बेवा हल्लेभाई	भूमिस्वामी	820	1.07	0.15	0.00	0.00	
248	राजाराम पिता अनंतसींग	भूमिस्वामी	822	0.78	0.63	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 अमरुद-1, अँवला-1, जामुन-1, बेरी-6 बमूरा-2, रँजा-1
249	रामसजीवन विनोद आशाराम राजेश अजय पिता सुदामा अनीता मालती कविता रामरती पिता सुदामा श्यामरानी	भूमिस्वामी	849	0.33	0.14	0.00	0.00	

	उर्फ कमलाबाई बेवा सुदामा							
250	बालकिशन पिता कूरा	भूमिस्वामी	874	0.83	0.83	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, धूकैलिपटिस-3
251	राजाराम द्वारका महादेव राजकुमारी पिता अनंतसींग सोहन ज्योतिष दीक्षास्वाति पि रामअवतार शारदा बेवा रामअवतार	भूमिस्वामी	878	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बहेर-1
252	रामसजीवन विनोद आशाराम राजेश अजय पिता सुदामा अनीता मालती कविता रामरती पिता सुदामा श्यामशानी उर्फ कमलाबाई बेवा सुदामा	भूमिस्वामी	902	0.41	0.41	0.00	0.00	
			911	0.29	0.29	0.00	0.00	
योग:-			385	253.2	208.65	6.95	4.08	

3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।
- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
 - (2) कडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
 - (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
 - (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
 - (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
 - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
 - (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
 - (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 - (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

- (8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 6- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक मण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 5- प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय चरोखर भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकबा 2.000 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।
- 6- अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/11/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र.-24-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-8934

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण		
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	बोध्या पिपरिया
4.	पट. ह. नं.-	:	110
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	119.61

क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5			8	9
1	धनीराम काशीराम रतीराम पिता रगवर बेवा मल्ली दे. रगवर हरीशंकर आँकार कृपाल भावन पिता घनश्याम भूमि स्वामी अवधरानी बेवा घनश्याम हरिनारायण खानजू ब्रह्मादुर पि. गोकल रामदुलैया बेवा गोकल महाराज पि. नन्नेलाल परपोत्तम पि. बुददे कामता प्रसाद दरबारी बैजनाथ पि. दुलारे मानसिंह नन्नु बाबू कोमल मैजी दुर्गा भगवानदास बीरेन्द्र पि. ग्याप्रसाद	भूमिस्वामी	184	1.11	1.11	0.00	0.00	सागौन-2, सेमर-1 कुआँ-1
			186	0.39	0.39	0.00	0.00	चिरहोल-1,कोहा-1
			192	0.23	0.20	0.00	0.00	निरंक
2	धनीराम रतिराम काशीराम पिता रगवर पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	196	0.50	0.50	0.00	0.00	निरंक
			211	3.20	3.20	0.00	0.00	कुआँ-1
			226/1	0.06	0.06	0.00	0.00	कोहा-3

3	रुपरानी बेवा करन सिंह रेखारानी बेवा हरीशंकर काशीराम रामसिंह शीलाबाई आशाबाई व रामजी ना. बा. वल्द भूमि स्वामी नकई पालक व खुद मां जनकरानी दे. कनई रामाधार गजाधर कन्छेदी पि. पहाड़ी फूलरानी बेवा पहाड़ी राजसिंह हल्लू गिल्ले कुंती पि. देवसिंह शेवरानी बेवा देवसींग गुलाबबाई पि. नथु	भूमिस्वामी	180	1.02	1.02	0.00	0.00	कोहा-3, बॉस-2, बमूर-1, ऊमर-1, कोथा-1
4	बीरन उत्तम पि. मानसिंह भूमि स्वामी		217/1/1	0.98	0.98	0.00	0.00	निरंक
	लक्ष्मी रानी बेवा मनसिंह रुपवती इमरती पुत्री मानसिंह भूमि स्वामी		239/1/3	0.12	0.12	0.00	0.00	निरंक
5	बैजनाथ 80 दुल्ले पता बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/2	0.95	0.95	0.00	0.00	निरंक
			235/2	0.32	0.32	0.00	0.00	निरंक
6	बलीराम बल्द गुन्ने पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77	1.04	0.55	0.00	0.00	गुरार-1, नीम-1, मकान-1, बेरी-7
			164	0.72	0.72	0.00	0.00	सागौल-4, लिफ्टस-1, फॉर्मा-1
7	बल्लू बनीबाई पिता बुधु सा. दह रमबाई जोजे राधे सा. आमचंद गुलाबबाई जोजे काशीराम भूमि स्वामी सा. सिदगुबा श्यामबाई जोजै बंशी सा. खैराना रामकली बल्द हिम्मत सा. पता भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	60	1.35	1.35	0.00	0.00	सागौन-2, कोहा-4 सेपर-2, नीम-2 बेरी-6, आँवला-1
8	कपिल कुमार पिता शीतलचंद जैन पता सा. वर्णा कालोनी सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82/2	0.40	0.40	0.00	0.00	निरंक
9	नरान बल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. ग्वालियर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82/1	0.98	0.75	0.00	0.00	निरंक
10	कौशल्यारानी पति गोविन्द पता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59	1.13	1.13	0.00	0.00	
11	शिवशंकर पि. कुंदन	भूमिस्वामी	204/1	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	कैलाश वल्द कुंदन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/2	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	अर्चना पि. कुंदन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/3	0.10	0.00	0.10	0.00	कोहा-2, चिरौल-1, इमली-1
14	हुकुमरानी बेवा कुंदन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/4	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	पश्चिम पि. सिम्बे अमोरानी पति पश्चिम	भूमिस्वामी	204/5	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	राजेश पि. पश्चिम	भूमिस्वामी	204/6	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	राकेश पि. पश्चिम	भूमिस्वामी	204/7	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	देवेन्द्र पि. पश्चिम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/8	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	जया पि. पश्चिम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/9	0.20	0.00	0.20	0.00	निरंक
20		भूमिस्वामी	42	0.57	0.02	0.00	0.00	निरंक

	कल्याण सिंह बखत सिंह पिता पन्ना बारेलाल सिंह पिस रामदयाल अवधरानी बेवा रामदयाल पता सा. देह भूमि स्वामी रघुवीर राजाराम पिता मिरजू मीरा चीना पुत्री मिरजू कली बाई पत्नि मिरजू विजय जगदीश छोटू पिता शिबू मनीषा पुत्री शिबू अनूपरानी बेवा शिबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		56	1.27	1.27	0.00	0.00	बबूल-3, गुरार-2 सागौन-1, कोहा-3, बेरी-1
			62	0.65	0.65	0.00	0.00	
21	गोपाल सुखलाल ओंकार परताप पुत्र जीवन सावित्री गीता पुत्री जीवन गौराबाई बेवा जीवन पुत्र जीवन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	40	0.51	0.34	0.00	0.00	नीम-1, बबूल-1, बहेरा-1, बेरी-1 कुआँ-1
22	कलू पि. खेतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	48/1	1.07	0.01	0.00	0.00	निरंक
23	मायाबाई पत्नी रामनाथ जाति यादव पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45	1.17	1.17	0.00	0.00	कुआँ-1, नीम-2, सागौन-2, सेमर-1 बहेरा-1
		भूमिस्वामी	68/4	0.74	0.74	0.00	0.00	कुआँ पक्का-1, मकान-1
24	मकुन्दराम बल्द बलबतराम बल्द रामसहाय गोमतीबाई बेवा शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी रामेश्वर राव संतोष राव छुटकुल पिता दिवाकर माधुरी पुत्री दिवाकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	169	1.92	1.92	0.00	0.00	बहेरा-1 कोहा-1 कुआँ-1 बेरी-1
		भूमिस्वामी	178	0.92	0.90	0.00	0.00	निरंक
25	महादेव मोहनलाल पिता बाबूलाल रामरानी पत्नि गुलाबसींग शालकराम प्रकाश हल्लीबाई कृष्णाबाई श्रीबाई भूमि स्वामी जनकबाई पिता कनई प्रेमदुलैया बेवा कनई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	162	0.29	0.29	0.00	0.00	निरंक
26	महादेव मोहनलाल बल्द बाबूलाल शालकराम प्रकाश हल्लीबाई कृष्णाबाई श्रीबाई जमनाबाई पिता कनई भूमि स्वामी प्रेमदुलैया बेवा कनई सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	143	0.51	0.51	0.00	0.00	निरंक
27	मुकेश पिता कुददा देशरानी बेवा कुददा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54	0.47	0.31	0.00	0.00	महुआ-2 कोहा-1, बहेरा-2
		भूमिस्वामी	67	0.60	0.60	0.00	0.00	निरंक
28	मुन्नी पत्नी ऋषभ जाति जैन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/3	0.20	0.20	0.00	0.00	निरंक
29	मुन्ना बल्द मुल्ले पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	205	0.46	0.45	0.00	0.00	निरंक
30	मुन्ना नन्हेबाई पिता सोभा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	159	0.89	0.89	0.00	0.00	सागौन-5, लिटिस-2, अमरुद-1 छीताफल-1, कुआँ-1
		भूमिस्वामी	44	0.98	0.98	0.00	0.00	
		भूमिस्वामी	161	0.18	0.18	0.00	0.00	निरंक
		भूमिस्वामी	176	0.28	0.28	0.00	0.00	कोहा-2 नीम-2
31		भूमिस्वामी	215/2	1.23	1.23	0.00	0.00	निरंक

								निरंक
	मिथिलेश रानी पति बालमुकुन्द पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी		236/2	0.13	0.13	0.00	0.00	
32	सियारानी पति वीर सिंह पता सेवारा सेवारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	166	0.48	0.48	0.00	0.00	बेरी-4, कुआ-1
33	सिरदार बहू बेवा चंदा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	61	0.66	0.66	0.00	0.00	सेमर-1, नीम-1,
34	दिनेश पुत्र धनीराम पता बरखेरा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/1	0.62	0.62	0.00	0.00	गुंजा-1, पुरार-1, कोहा-1, छैनला-1, महुआ-1
35	चित्तर प्रभू पिता कौडी छवराणी बेवा कौडी बाबू पुत्री जगदीश सुशीला पुत्री जगदीश सुन्दररानी बेवा जगदीश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	146	1.01	1.01	0.00	0.00	निरंक
			148	0.08	0.08	0.00	0.00	निरंक
36	रामसेवक पुत्र गोटीराम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/1/1	0.42	0.42	0.00	0.00	म्कान-1
37	हरीनरायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया बेवा गोकल पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	216/1	2.19	2.19	0.00	0.00	सेमर-1, कोहा-1,
		भूमिस्वामी	237	0.20	0.20	0.00	0.00	निरंक
38	हरचरन बल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	70	0.81	0.81	0.00	0.00	बहेरा-2 सोबनूल-3, बेरी-8, अँयला-2
39	भदू पिता फलादी पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तान्तरणीय	भूमिस्वामी	189	1.01	0.40	0.00	0.00	निरंक
40	रामदास बाबूलाल जागे रामसखी भैयालाल पि. कच्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	195	0.30	0.30	0.00	0.00	निरंक
		भूमिस्वामी	209	0.70	0.70	0.00	0.00	अँयला-1
41	प्यारे गुलई राजबाई पि. हरजू गुलाब नन्नी भोगनी पिता विरजा पता सा. देह भूमि स्वामी मन्नु ब० नन्नु उर्मिला अँजे मँजे पु० नन्नु सरोजनी बेवा नन्नु पता निवास्ती ग्राम	भूमिस्वामी	172	1.61	1.61	0.00	0.00	गुंजा-2, खेर-1, नीम-1, जामुन-1, बेरी-2
42	प्यारेलाल मुन्ना राजू पि. टीका इन्द्रानी बेवा टीका रामप्रसाद बल्द छुददा सा. देह रमबाई जोजे मानसिंग भूमि स्वामी सा. रमखिरिया पानबाई जोजे उमेद सा. शेखपुर ताराबाई पिता टीका सा. पता भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	66	0.12	0.12	0.00	0.00	निरंक
			173	0.74	0.74	0.00	0.00	निरंक
			177	0.98	0.98	0.00	0.00	कोहा-1
43	गुपाल दीपक लखन पूनम लक्ष्मी हल्ली पि. प्यारेलाल रामरानी बेवा प्यारेलाल गुलई राजबाई पिता हरजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53	1.72	0.45	0.00	0.00	यूकेलिपटिस-3
44	परसादी बल्द मन्नु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	47	1.81	0.20	0.00	0.00	निरंक
			170	0.62	0.62	0.00	0.00	निरंक
45	पलुवा दुर्जन खुनसैया बटुवा पिस सवेया द्रोपती बल्द सेवैया ललतिया बल्द सवेया पता सा. आमचंद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/1	0.14	0.14	0.00	0.00	निरंक
46	प्रयागरानी बेवा चित्तर प्रहलाद नावा. पिता चित्तर बली व खुद मां प्रयागरानी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	193	0.30	0.30	0.00	0.00	निरंक
			198	0.70	0.70	0.00	0.00	बहेरा-2, चिरोल-1

47	प्रहलाद पिता धरमदास अमसीग पिता चेतू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65	0.12	0.12	0.00	0.00	निरंक
48	रमेश कमलेश पिता उमराव पता सा. सनोधा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	155	0.66	0.66	0.00	0.00	निरंक
			157	0.30	0.30	0.00	0.00	निरंक
49	रश्मि पति सजेश जैन पता सा. करीपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	220	1.01	1.01	0.00	0.00	अचार-1, बेरी-1, कंऑ-1
			223	0.11	0.11	0.00	0.00	निरंक
			229	0.22	0.22	0.00	0.00	निरंक
			233	1.20	1.20	0.00	0.00	निरंक
50	रीता उर्फ रिकी पत्नी सुरेश जाति जैन	भूमिस्वामी	234	1.62	1.62	0.00	0.00	निरंक
51	रीता उर्फ रिकी पत्नी सुरेश जाति जैन पता सा. 198 बोधा पिपरिया सागर मध्यप्रदेश भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/1	1.62	1.62	0.00	0.00	पीपल-1,
			238	1.10	1.10	0.00	0.00	बहेरा-4, नीम-1 कंऑ-1,
52	रामकुमार पिता काशीराम यादव पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/3	1.26	1.26	0.00	0.00	निरंक
53	रामरानी बेवा गुलाब सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	149	0.23	0.23	0.00	0.00	निरंक
			179	1.18	1.18	0.00	0.00	कोहा-3, बॉस-2
54	रामाधर राजाधर कन्छेदी पि. पहाड़ी फुलरानी बेवा पहाड़ी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	203	1.40	1.40	0.00	0.00	कोहा-10, खेर-1, कौथा-3, आंवला-1 आम-1, बेरी-4, अमरुद-2, कंऑ-1
55	तारारानी पति काशीराम सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/1/2	0.80	0.80	0.00	0.00	कोहा-3, नीम-1, सागौन-1, कंऑ-1
56	मिथिलेश रानी पति बालमुकुन्द पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/3	1.40	0.56	0.00	0.00	
57	जगदीश प्रसाद पिता हरप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/4	1.40	0.23	0.00	0.00	निरंक
58	राजेन्द्र कुमार वल्द यसन्तलाल समैया पता सा. पदमाकर नगर रजाखेड़ी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	187	1.61	1.61	0.00	0.00	सागौन-3, कोहा-3
59	राजाराम वल्द हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/2	0.03	0.03	0.00	0.00	निरंक
60	राजकुमार सुरेन्द्र वा0 गोलू नावा0 पिसरान रूपसिंह बली व खुद मों कौशिल्या बेवा रूपसिंह बर्षा पुत्री रूपसिंह रघुवीर पिता बाबूलाल खेमा पिस मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	175	0.89	0.89	0.00	0.00	निरंक
61	रामनाथ श्रीराम पि. हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/1	3.42	3.42	0.00	0.00	बमूरा-5, सेगर-2, कोहा-1 नीम-2, गुरार-2, बेरी-5, आंवला-8, आम-4, अमरुद-10, मुनगा-1, पीपला-15, कुंऑ-1
62	रामनाथ पुत्र हल्काई जाति यादव पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/3	0.45	0.45	0.00	0.00	
63	रामदास रामलाल मुन्ना पिस मुत्ले पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	206	1.48	1.48	0.00	0.00	गुरार-2, सुमबूल-4, बमूरा-1, नीम-1, कौथा-1, बेरी-3, जामुन-3 कुंऑ-1
64		भूमिस्वामी	43	0.86	0.66	0.00	0.00	

	मनोहर राजकुमार सविता पि. रामेश्वर शशिबाई बकबा रामेश्वर संतोष छुदकल बल्द दिवाकर मुन्ना नन्हेभाई पि. सोभा सा. देह भूमि स्वामी		140	0.59	0.59	0.00	0.00	निरंक
			156	0.36	0.36	0.00	0.00	निरंक
65	शांतिबाई पिता लिखई महादेव पिता शोभा शकुन पुत्री शोभा सियारानी बेवा शोभा श्यामलाल विन्दावन हरगोविन्द पिता सवदल चन्दा अंगूरी अर्चना पुत्री सवदल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	158/1	0.29	0.29	0.00	0.00	निरंक
66	फूलसींग पि. परशोत्तम रावत		158/2	0.14	0.14	0.00	0.00	
67	रतन दुलैया बेवा सिया पप्पु वल्लोबाई पति सिया स्वी पि. पूरन जगरानी बेवा परसादी पता सा. देह भूमि सवामी	भूमिस्वामी	167	2.00	2.00	0.00	0.00	गहुआ-1 सागौन-8 कोहा-3 बेरी-3, नीम-2 जामुन-3 कुंआ-1
68	रगबीर जमना जगन दामोदर पिस गजराज राजरानी बेवा गजराज पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	199	2.40	2.40	0.00	0.00	कोहा-8, सागौन-14, विरोल-1, नलकूप-1
69	शालकराम रामक्रपाल पिता कनई राम दुलैया बेवा कनई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	78/1	0.78	0.78	0.00	0.00	सागौन-1, गुंजा-1, नीम-1, छीताफल-1 कुंआ-1
70	संजना पत्नी सथिन जाति जैन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	224	0.62	0.62	0.00	0.00	कोहा-3
			230	2.00	2.00	0.00	0.00	बहेरा-2
71	सीमा पत्नी निखलक जाति जैन पता सा. 198 बोधा पिपरिया सागर मध्यप्रदेश भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	226/2	1.20	1.20	0.00	0.00	कोहा-4, कोया-2
			227	0.89	0.89	0.00	0.00	निरंक
			228	0.80	0.80	0.00	0.00	निरंक
72	सीताराम जीवन सुरेश पि0 घनश्याम शांतिबाई क्रांतिबाई पुत्री शीलरानी बेवा घनश्याम दीपक रामकेश पिता भगवान सींग मगन गुलझारी सुमेदा रुकमन पूनाबाई पिता बैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73	1.60	1.05	0.00	0.00	आम-2, लॉवरी-5, बिही-2, नीबू-4 कोस-2
			152/1	0.38	0.38	0.00	0.00	कुंआ-1
73	सीताराम जीवन सुरेश शांतिबाई क्रांतिबाई पि0 घनश्याम शीलरानी बेवा घनश्याम पता नियासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	72	1.54	1.54	0.00	0.00	बमूरा-1 रुतला-1, आवरी-1 बरी-2 इमली अंग्रेजी-4 कुंआ-1
74	कमलेशरानी पति शालकराम	भूमिस्वामी	78/2	0.30	0.08	0.00	0.00	बबूल-01, बमूरा-01, नीम-01, बेरी-1
75	सुमतरानी पति उमराव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/2	0.85	0.85	0.00	0.00	सागौन-1
76	उमाशंकर पिता कामताप्रसाद पता सा. बरखेरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/1	0.94	0.94	0.00	0.00	नीम-01, खमेर-01, छीताफल-2
			235/1	0.32	0.32	0.00	0.00	
77	दयारानी पति घनीराम पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/1	1.35	1.35	0.00	0.00	सागौन-02, शीशम-03, छेवला-03, बहेरा-01 कुंआ-1
78	दयाचंद निर्मल कुमार सुमत कुमार ज्ञानचंद शिखरचंद	भूमिस्वामी	79	0.79	0.63	0.00	0.00	गुंजा-1, बमूरा-1
			137	0.11	0.06	0.00	0.00	
			141	0.27	0.27	0.00	0.00	

	शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी		150	2.56	2.56	0.00	0.00	नीम-2 कोहा-10
			181	0.97	0.97	0.00	0.00	कोहा-6, गुरार-1
79	दीनदयाल पि धनीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	212	1.00	1.00	0.00	0.00	कोहा-3, नीम-1
80	दरबारी पिता दुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/3	0.63	0.63	0.00	0.00	गुंजा-1, गुरार-1, कोहा-1, छेवल-1
			218/3	0.94	0.94	0.00	0.00	मकान पक्का-1,
			235/3	0.32	0.32	0.00	0.00	निरंक
81	छोटे तुलसी शंकर पिस फुल्ला शंतिबाई हल्लीबाई पु. फुल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	210	1.00	1.00	0.00	0.00	नीम-1, यूकेलिटिस-1
82	देशराज परम ना.बा.पिता हल्काई पालक व खुद बहिन क्रांतिबाई पिता हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	55	1.00	0.80	0.00	0.00	नीम-1, कोहा-1, गुंजा-3
83	देवी मानसीग पिता नन्नाई पूना देवका गंगा पुत्री नन्नाई लक्ष्मी बेवा नन्नाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	41	0.92	0.30	0.00	0.00	निरंक
84	चन्द्रारानी पत्नि भागीरथी पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	215/1	1.23	1.23	0.00	0.00	कोहा-1, बॉस-2, सागौन-2 कुंओं-1
			236/1	0.12	0.12	0.00	0.00	निरंक
85	फूलसीग पिता छुट्टा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	185	1.00	0.62	0.00	0.00	निरंक
86	फूलसीग अमान पिता परषोत्तम हल्की बिन्ना पिता परषोत्तम भुजरानी बेवा परषोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	144	0.32	0.32	0.00	0.00	बबूल-4, लिटिस-1,
87	फूलसीग अमान किशन पिस परसोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	151	0.66	0.66	0.00	0.00	कुंओं-1, बेरी-4, अमरुद-1 छोताफल-3
88	महेलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	239/1/1	0.11	0.11	0.00	0.00	
			217/1/2	0.99	0.99	0.00	0.00	
89	तारारानी पत्नि काशीराम यादव पता बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/2	1.27	1.27	0.00	0.00	कुंओं-1, बहेरा-2 मकान-1
90	जूली उर्फ जयंती पत्नी अखलक जाति जैन	भूमिस्वामी	237/1	2.18	2.18	0.00	0.00	
91	जगन्नाथ पिता जुड़े महरानी बेवा बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63	0.13	0.13	0.00	0.00	निरंक
92	नर्मदा प्रसाद व 0 बैजनाथ सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/2	0.62	0.62	0.00	0.00	निरंक
93	नीतेश पिता गुलझार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	152/2	0.37	0.37	0.00	0.00	निरंक
94	नीलू पत्नी संभव जाति जैन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/2	1.50	1.50	0.00	0.00	निरंक
			232/2	1.12	1.12	0.00	0.00	निरंक
95	नरान वल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. ग्वालियर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	139	0.71	0.68	0.00	0.00	निरंक
			153	0.10	0.10	0.00	0.00	निरंक
96	नन्दनी पत्नि महेन्द्र जैन पता सा. भोपाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	219	1.12	1.12	0.00	0.00	बभूरा-1, मकान-1, आवला-1
			231/2	0.35	0.35	0.00	0.00	निरंक

97	टीकाराम सूरत सींग सीताराम पिता दुर्गा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64	0.12	0.12	0.00	0.00	बांस-1
98	अशोकरानी पति रतीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/3	1.20	1.20	0.00	0.00	निरंक
99	अजयरानी पति भुवानी प्रसाद पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	216/2	0.20	0.20	0.00	0.00	निरंक
			217/2	0.54	0.54	0.00	0.00	कोहा-1, बहेरा-1
			239/2	0.12	0.12	0.00	0.00	निरंक
100	गोकल प्रसाद पुत्र परसादी जनकियाबाई पुत्री परसादी कसिया पुत्री भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58	1.55	1.55	0.00	0.00	कोहा-4, आम-1
101	गोटीराम वल्द लख्खी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76	1.16	0.77	0.00	0.00	सागौन-2, सेमर-1 कुओं-1
			163	0.78	0.78	0.00	0.00	बेरी-10, आम-5 बिही-20, आवरी-1 कुओं-1, नलकूप-1
102	गुलझारी वल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	71	0.99	0.99	0.00	0.00	कुंआ पकल-1 टअबवेल-1 बेरी-10 आम-5 बिही-20 आवरी-1
			165	0.35	0.35	0.00	0.00	रेजा-1, नीम-1, मकान-1, बेरी-8 कुओं-1
			168	1.56	1.56	0.00	0.00	बेरी-8 कुंआ-1
103	गनेश वल्द हरचरन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69	0.07	0.07	0.00	0.00	सागौन-5, बांस-1, कोहा-6, गुरार-1 आम-2, अमरुद-2 कुओं-1
104	गुलाब सेवक अनदी बा. प्रेमबाई ना. बा. पिता कंछेदी गोमतीबाई जोजे अमोल पालक भाई मुलाम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	201	1.27	1.27	0.00	0.00	कोहा-8.
105	लछमन सिंह वल्द चिन्ते पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	207	1.53	1.53	0.00	0.00	सागौन-5, शीशम-1, चिरील-1, छेदला-03, नीम-2, इमली-2 कुओं-1
106	लक्ष्मीनारायण पि रतिराम यादव पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/2	1.20	1.20	0.00	0.00	मकान पक्का-1.
107	कोमल पुत्र दुर्गाप्रसाद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	217/1/3	0.99	0.99	0.00	0.00	
			239/1/2	0.11	0.11	0.00	0.00	
योग:-			151	130.63	117.61	2.00	0.00	

3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।
- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
 - (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
 - (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
 - (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टंप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 6- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
 - (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
 - (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
 - (7) यथेचित पंचायत घर
 - (8) बीज सह उर्वरक मण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
 - (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
 - (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
 - (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
 - (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
 - (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
 - (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
 - (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
 - (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
 - (17) बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
 - (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
 - (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
 - (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
 - (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
 - (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
 - (23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 5— प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय चरोखर भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकबा 2.000 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।
- 6— अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक / /2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 24/11/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 7— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र.-57-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-8935

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19(1) के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम	: जमदर्रा जलाशय योजना
(2) भूमि का विवरण	
1. जिला	: सागर
2. तहसील	: गढ़ाकोटा
3. ग्राम	: जमदर्रा जलाशय योजना
4. पट. ह. नं.-	: 19 जरिया खिरिया
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	1.00

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमारक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रवेशरानी पति डालचंद सा. परासिया	भूमि स्वामी	10/1	1.99	1.00	कुँआ-1	सिंचित	
	कुल रकवा			1.99	1.00			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 24/11/22 को प्रातः 10.30 बजे से 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग

क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

पृ.क्र.-002-अ-82-2019-20-11801

श्योपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2022

(भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर ककटो बांध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम फरारा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 2 कुल रकवा 0.180 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम फरारा पटवारी हल्का 45 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 0.180 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

स. क्र	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम / पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	412/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमि स्वामी
2	417	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	रामचरन पुत्र मोती जाति किरार निवासी ग्राम सहसराम भूमि स्वामी
किता 02			कुल	0.180	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने में, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष - धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।
स्थान श्योपुर

पृ.क्र.-001-अ-82-2019-20-11803

(भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर ककटो बांध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम सेहुला तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 04 कुल रकवा 0.860 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एव 'दल' द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम सेहुला पटवारी हल्का 48 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 0.860 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

स. क्र	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम / पिता का नाम जाति, भाग(राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	251/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	71/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3	72/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	70/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम भूमि स्वामी
किता 04			कुल	0.860	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने में, अत्रमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष - धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

पृ.क्र.-05- अ-82-2022-23-11805

(भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर कर्केटो बांध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम धोविनी तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल कित्ता 31 कुल रकवा 8.101 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित क्लेक्टर द्वारा गठित एव दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम धोविनी पटवारी हल्का 48 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 8.101 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

स. क्र	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम / पिता का नाम जाति, भाग(राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	497/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.026	बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
2	497/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.026	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
3	497/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
4	496	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.092	सज्जन, ओमी, दोली राजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा. मुकेश ना.वा. पुत्रिया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेबा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
5	495/2	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.011	नथुआ, प्रह्लाद, मुरारी, विष्णु पुत्रगण जादौं प्रगागों, रामो पुत्रिया जादौं जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
6	495/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.011	जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी

1	2	3	4	5	6
7	478	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी राजो बेबा मानसिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी बाबूलाल, द्वारिकाप्रसाद बा.ओमप्रकाश ना.बा.पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भूमि स्वामी श्रीकिसन ना.बा. पुत्र देवीराम सरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी
8	517	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.283	सज्जन,ओमी,दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी,लीला वा. मुकेश ना.वा. पुत्रिया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेबा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
9	510	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.136	जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी
10	508/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	गयाबाई बेबा चिन्दू जाति मिर्धा पता ग्राम भूमि स्वामी
11	508/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	मु.चंद्रा बेबा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमि स्वामी
12	503	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.200	कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राम्हण पता धोबनी भूमि स्वामी
13	646/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.150	बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
14	646/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.150	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
15	384	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	रामहेत पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूडदा भूमि स्वामी
16	421	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.249	सुरेश कुमार कृष्ण कान्त पुत्र रामलाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
17	417	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.137	हरिज्ञान पुत्र सबाई जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला,लीला पुत्रिया सबाई जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी मु.कस्तूरी बेबा सबाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी जगदीश, वीरेंद्र ना.वा.पुत्रगण रामचरन गायत्री ना.वा. पुत्री रामचरन सर. माँ जाति किरार पता नेहरखेडा भूमि स्वामी मु.कलाबती बेबा रामचरन जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भाग भूमि स्वामी मुरारी पुत्र रामजीलाल मु.गया ब्रेबा रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चंद्र 1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमि स्वामी
18	36/2/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.742	प्रह्लाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा समान,भाग भूमि स्वामी

1	2	3	4	5	6
19	471	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	पूरन, लखन, विजय, वीरेंद्र पुत्रगण जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अंजू पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी गिरांज, अमरसिंह पुत्रगण जनबेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गीता, जानकी, लीला, त्रिवेनी पुत्रिया जनबेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी काशी बेबा जनबेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
20	473	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.241	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
21	480	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	चरण पुत्र कुंडेरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमि स्वामी गया बेबा कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 केदार पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 रामबती पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 भूमि स्वामी
22	485	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
23	483	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
24	484	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
25	467/1	भूमि स्वामी शासकीय पट्टे	कृषि भूमि	0.363	कमरलाल, कैलाश पुत्रगण कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा, रेखा पुत्रिया कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे समान भाग भूमि स्वामी शासकीय पट्टे
26	24/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	2.070	बैजन्ती बेबा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा भाग 1/7 महेश पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामश्रवतार पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सुकन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमि स्वामी
27	24/4/5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	अमरलाल पुत्र ननकू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा भूमि स्वामी

1	2	3	4	5	6
28	22/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.450	बिनयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पता निवासी ग्राम धोवनी भूमि स्वामी
29	486	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
30	516	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.109	दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवासी ग्राम धोवनी भू-स्वामी
31	34/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.463	प्रह्लाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा समान भाग भूमि स्वामी
किता 31			कुल	8.101	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने में, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष - धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

पृ.क्र.-003-अ-82-2019-20-11807

(भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर कंक्टो बांध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम विनेगा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 51 कुल रकवा 18.113 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित बलेक्टर द्वारा गठित एव दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंबों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम विनेगा पटवारी हल्का 48 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 18.113 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

स.क्र	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम / पिता का नाम जाति, भाग(राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	326	भू-दान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470	जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर पता नि. बिनेगा भूदान भूमि स्वामी
2	327/1	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.052	रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भू-दान कृषक
3	327/2	भू-दान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.501	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भू-दान भूमि स्वामी कौसाए वैजन्ती पुत्रिया सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भू-दान भूमि स्वामी
4	330/2	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	1.095	गोपाल पुत्र कमलसिंह जाति रावत पता दाउद पुर भू-दान कृषक
5	328	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.398	रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता वि.गा भू-दान कृषक चतुरोए पंखो पुत्रिया भीका जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भू-दान कृषक
6	329/1	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.731	मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भू-दान भूमि स्वामी
7	334	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	1.108	लखन पुत्र छोटे जाति चमार पता बिनेगा 1/2 भाग भू-दान भूमि स्वामी मु.साबो बेबा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भू-दान भूमि स्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भू-दान भूमि स्वामी बनलार गुडडी ना.वा. पुत्रिया ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2 समान भाग भू-दान भूमि स्वामी
8	307	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	हुकुमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
9	306	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.386	हुकुमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	300/4	भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से	कृषि भूमि	0.585	तुलसीराम पुत्र हरभजन जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
11	300/6	भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से	कृषि भूमि	0.147	छोटे पुत्र शिवलाल जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
12	291	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.705	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोप पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
13	335	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	गुलाबचंद्र पुत्र देवलाल जाति ब्राम्हण पता त्रयपुर भूमि स्वामी
14	336	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.041	पाना बेबा पुत्र जाति जाटव पता निवासे भू-दान भूमि स्वामी
15	298	भू-दान-कृषक	कृषि भूमि	0.481	राजेश पुत्र बाललाल जाति शिवहरे पता बिनेगा कृषक
16	296	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.449	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोप पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
17	292	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.334	चेऊराम पुत्र कुड़ेरी जाति गुर्जर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
18	295	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.137	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोप पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
19	294	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोप पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
20	274/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.014	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसाए वैजन्ती पुत्रिया सुक्खू जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी
21	274/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोप पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
22	271/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	उम्मेदसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति गुजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
23	271/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.397	साजो बेबा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कमलाए गुडडी ना.वा. पुत्रिया ल्होरिया सर.माँ खुद जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	270	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.156	उम्मेदसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
25	255	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	उम्मेदसिंह बट्टी सिंह पुत्रगण चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
26	254	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	उम्मेदसिंह बट्टी सिंह पुत्रगण चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
27	268	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
28	267	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
29	265	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसाए वैजन्ती पुत्रिया सुक्खू जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी
30	266/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	पांचो बेबा केशरिया जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी तेजसिंह बा. पिस्सूए दोजा ना.बा. पुत्रगण केशरिया सरपरस्त पिता जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी तक्खोए हन्नीए भंतो पुत्रिया केशरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
31	266/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	उम्मेदसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
32	263	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.784	उम्मेदसिंह बट्टी सिंह पुत्रगण चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
33	275	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.333	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी
34	236/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	रणवीरए निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 2/3 भाग भूमि स्वामी मंजेश बेबा हरचरण प्रदीपए हरेन्द्र ना.बा. पुत्रगण हरचरण करिश्मा ना.बा. पुत्री हरचरण सर.माँ खुद जाति गूजर पता नि. ग्राम समान 1/3 भाग भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	232	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.439	सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 भाग भूमि स्वामी महाराजसिंह चिरौजी सुधरसिंह लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
36	200	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.302	सुल्तानए अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
37	178	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	सुल्तानए अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
38	173	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.400	कुअरिराज पुत्र शंकर हि.3/5 बादाम पुत्र शंकर कुनियाए सुखो गोधा पुत्रिया शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
39	172	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.081	कुअरिराज पुत्र शंकर हि.3/5 बादाम पुत्र शंकर कुनियाए सुखो गोधा पुत्रिया शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
40	177	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	सुल्तानए अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
41	203	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219	उम्मेदसिंह बूढी सिंह पुत्रगण चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंदनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
42	204	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.324	बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरौजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुधरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 भूमि स्वामी

पृ.क्र.-004-अ-82-2019-20-11809

(भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर ककटो बांध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम नेहरखेडा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 06 कुल रकवा 1.410 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित क्लेक्टर द्वारा गठित एव दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम नेहरखेडा पटवारी हल्का 48 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 1.410 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

स. क्र	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम / पिता का नाम जाति, भाग(राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1197	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	नेतु, रामहेत पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, बत्तो नावा. पुत्रिया भगीता सर. सावित्री माँ खुद जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री बेबा भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार
2	1207	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
3	1208	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
4	1200	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	रघुबीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शांति बेबा कमरलाल समान भाग 1/2 करई पुत्री नारायण भाग 1/2 जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
5	1204	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार
6	1039	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.610	वंठन, महेश पुत्रगण नकटू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला पुत्री नकटू जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
किता 06			कुल	1.410	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लें में, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष - धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-7025-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 नवम्बर 2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-कोहटमाल प0ह0न-07, ब.न.-83 रा.नि.मं.-लावाघोघरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-26.038 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	71/3	0.404
2	71/4	0.454
3	71/5	0.453
4	73	0.999
5	158/1/5	0.121
6	160/1/4	0.087
7	75/1	0.436
8	75/2	0.437
9	75/3	0.236

10	75/4	0.235
11	75/5	0.235
12	75/6	0.169
13	77	1.416
14	78/1	1.744
15	164/2	0.113
16	137/9	2.023
17	78/2	1.076
18	164/3	0.113
19	137/2	0.200
20	137/3,	2.023
21	137/4	2.023
22	137/7	1.011
23	137/12	0.270
18	137/8	2.023
19	137/10	0.973
20	137/11	0.780
21	137/13	0.923
22	157	1.382
23	158/1/1	0.242
24	160/1/1	0.163
25	158/1/2	0.242
26	160/1/2	0.163
27	158/1/3	0.242
28	160/1/3	0.163
29	159/1	0.078
30	158/1/4	0.121

31	158/2	0.242
32	159/2	0.019
33	160/2	0.144
34	161/1 \	0.416
35	161/2	0.425
36	163/1	0.226
37	163/2	0.226
38	163/3	0.225
39	163/4	0.225
40	164/1	0.117
	योग :-	कुल रकबा-26.038 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाडा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत संगम-2 बांध के अंतर्गत बांध एवं स्पीलवे निर्माण हेतु डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-13002-प्रवा.-2022

राजगढ़, दिनांक 9 नवम्बर 2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में बरखेडी तालाब सिंचाई परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम बरखेडी के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

बरखेडी तालाब के पाल, डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बरखेडी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	मोहनलाल पिता बापूसिंह सौधिया निवासी ग्राम बरखेडी उमठ भूमि स्वामी	289/3/2	0.963	0.963
	योग	1	0.963	0.963
2	पर्वतसिंह पिता बापूसिंह सौधिया निवासी ग्राम बरखेडी उमठ भूमि स्वामी	289/3/6	0.963	0.963
	योग	1	0.963	0.963
	महायोग :-	2	1.926	1.926

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-13004-भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पीपल्याकुमार तालाब रिंचाई परियोजना तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम बीजपडी एवं चमारी के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1) :-

पीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का पूरक प्रकरण

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बीजपडी	5	0.658	0.538
2	चमारी	54	5.298	4.015
	कुल योग :-	59	5.956	4.553

अनुसूची (2) :-

पीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बीजपडी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	रामसिंह पिता देवसिंह जाति मोग्या नि. ग्रा. भू-स्वामी	125/1	0.015	0.015
	योग	1	0.015	0.015
2	तुलसीबाई बेवा शिवलाल, संतोष, रवि पिता शिवलाल जाति मोग्या नि. ग्रा. भू-स्वामी	113/1	0.110	0.110
	योग	1	0.110	0.110
3	प्रेमसिंह पिता गोस्वामिसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा. भू-स्वामी	67/1	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065
4	रामसिंह पिता चुन्नीलाल जाति मोग्या नि. ग्रा. भू-स्वामी	70/1/1	0.318	0.318
	योग	1	0.318	0.318

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
5	अयोध्याबाई बेवा गोरधन प्रकाश, रामप्रसाद पिता गोरधन जालीबाई पुत्री गोरधन, मोहनलाल पिता दोला चम्पीबाई बेवा दोला जाति भोग्या नि० ग्राम भूमि स्वामी	112	0.150	0.030
	योग :-	1	0.150	0.030
	कुल योग :-	5	0.658	0.538
पीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चमारी				
1	भंवरकुंवर बेवा देवीसिंह उर्फ प्रेमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	177/1	0.302	0.267
		264/2	0.032	0.032
	योग	2	0.334	0.299
2	उम्मेदसिंह पिता मेहताब सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	183/1	0.353	0.353
	योग	1	0.353	0.353
3	उम्मेदसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	184	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
4 अ	तंवरकुंवर कमलेश कुंवर, हेमकुंवर, ममता कुंवर, दिता कुंवर पिता अमरिश, प्रेमकुंवर बेवा अमृतसिंह, और प्रकाश सिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम चमारी	185	0.166	0.166
	योग	1	0.166	0.166
4 ब	इन्द्रभानसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि० ग्राम भूमि स्वामी	262	0.060	0.060
	योग	1	0.060	0.060
5	धनसिंह पिता पदमसिंह राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/1	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
6	पिकीबाई पिता भीमसिंह, धापूकुंवर बेवा भीमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/2	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
7	ब्रजराजसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/3	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
8	अमरसिंह पिता हनुमंतसिंह, फूलकुंवरबाई बेवा प्रभूनाथ सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	207/1/2	0.003	0.003
	योग	1	0.003	0.003

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
9	गंगासिंह पिता किशनसिंह, सेतानकुंवरबाई पति किशनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	207/2/1	0.027	0.003
	योग	1	0.027	0.003
10	गंगासिंह पिता किशनसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	250/1	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
11	उमरावसिंह पिता केशरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	202/1	0.184	0.144
	योग	1	0.184	0.144
12	बल्लभसिंह, जालमसिंह, भगवानसिंह भंवरसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/1	0.101	0.086
	योग	1	0.101	0.086
13	दीपसिंह पिता उदेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/2	0.101	0.086
	योग	1	0.101	0.086
14	भेपेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/3	0.125	0.105
		196	0.024	0.024
	योग	2	0.149	0.129
15	रोडीबाई बेवा बापूलाल, कमलसिंह, मांगीलाल, कैलाशबाई पिता बापूलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	195	0.341	0.100
	योग	1	0.341	0.100
16	वीरमसिंह, रामपालसिंह, बबलीकुंवरबाई, रागकुंवर पति भंवरलाल, गोविन्द कुंवर बेवा भंवरलाल, सादकुंवरबाई, देवीसिंह पिता रूपसिंह, तरवरलाल पिता नन्दलाल, बालकुंवर बेवा नन्दलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	242	0.113	0.013
		253/2	0.096	0.096
		261/1	0.102	0.102
	योग	3	0.311	0.211
17	मेरबानसिंह, मनोहरसिंह, भगवानसिंह पिता रघुवीरसिंह, चन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	241/1	0.069	0.020
		263	0.065	0.065
	योग	2	0.134	0.085
18	सोभागसिंह, गजराजसिंह पिता भगवतसिंह, कुंवर, विष्णु कुंवर, नन्दकुंवर पुत्री भगवतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	241/2	0.069	0.020
	योग	1	0.069	0.020

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
19	रामस्वरूप पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	240	0.089	0.045
	योग	1	0.089	0.045
20	भगवानसिंह, गोकुलसिंह, भारतसिंह, दिलीपसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	225/1	0.051	0.051
	योग	1	0.051	0.051
21	सुल्तानसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/1/1	0.037	0.037
	योग	1	0.037	0.037
22	कालूसिंह, रतनसिंह, गोकुलसिंह पिता हरीसिंह, कवरदाई बेवा हरिसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/2/1/1	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
23	विक्रमसिंह पिता फतेहसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/2/2/1	0.037	0.037
	योग	1	0.037	0.037
24	मांगूसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/3	0.042	0.042
	योग	1	0.042	0.042
25	सजनसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	251/1	0.048	0.048
	योग	1	0.048	0.048
26	बजरंगसिंह, कल्याणसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/1/2	0.064	0.064
		250/2	0.032	0.032
		320/1	0.100	0.100
		321	0.429	0.105
	योग	4	0.625	0.301
27	जगबहादुरसिंह, रघुवीरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	249/1	0.051	0.051
		253/1/2	0.047	0.047
	योग	2	0.098	0.098
28	शिवसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	249/2	0.050	0.050
		254/1	0.083	0.030
	योग	2	0.133	0.080

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
29	सोनकुंवरबाई बेवा शंकरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	254/2	0.083	0.030
	योग	1	0.083	0.030
30	ओमप्रकाश सिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	256	0.251	0.110
	योग	1	0.251	0.110
31	लालसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	257	0.077	0.077
	योग	1	0.077	0.077
32	केशरसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	264/1	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
33	रामपालसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	265	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065
34	गुडडी बाई पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	253/1/1	0.048	0.048
	योग	1	0.048	0.048
35	शंकरसिंह, खुवानसिंह, रतनसिंह पिता मोडसिंह संपतकुंवर, प्रेमकुंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	258	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
36	शिवराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	259/2	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
37	लक्ष्मण सिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	317	0.138	0.103
	योग	1	0.138	0.103
38	हिम्मतसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	318/1	0.057	0.057
	योग	1	0.057	0.057
39	विक्रमसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	318/2	0.056	0.056
	योग	1	0.056	0.056

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
40	सोनाथसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	319/1/1/1	0.058	0.058
	योग	1	0.058	0.058
41	लालसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	319/2/1	0.079	0.079
	योग	1	0.079	0.079
42	गगासिंह पिता किशनसिंह, उमराव कुंवर बेवा किशनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/1/1/1	0.129	0.129
	योग	1	0.129	0.129
43	शंकरसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/2/1	0.324	0.324
	योग	1	0.324	0.324
	कुल योग :-	54	5.298	4.015
	महायोग :-	59	5.956	4.553

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 4712-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

हरसूद, दिनांक 22 नवम्बर 2022

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक-0007/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -आशापुर, प.ह.न.-05, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -आशापुर, प.ह.न.-05	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			2	0.147
			5/1/1	0.009
			5/3	0.021
			5/5	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -आशापुर, प.ह.न.-05	11/1	0.011
				0.006
			11/2	0.040
				0.004
			13/1	0.002
				0.003
			13/2	0.017
				0.001
			15/1	0.017
			15/2	0.007
			16	0.043
			23	0.018
			25	0.012
			50	0.079
			49	0.018
			32/1	0.015
			47/3	0.018
			292	0.041
			293	0.037
			294/1	0.020
				0.006
			294/2	0.014
			302/4	0.007
			302/5	0.012
			303/1	0.009
			303/2	0.011
			304/3	0.018
			306/2	0.020
			308/2	0.032
			314/1	0.014
			314/2	0.012
			313	0.020
312/1	0.006			
310/1	0.016			
310/2	0.021			
310/3	0.023			
348/1	0.012			
19	0.001			
20	0.002			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	69/3	0.008
			68/1	0.003
			68/2	0.002
			68/3	0.002
			63/1	0.003
			63/2	0.008
			60/1	0.003
			60/2/1	0.003
			59	0.004
			250/1/1/1/1	0.001
			250/1/2	0.003
			249/1	0.004
			248/1	0.004
			247/2	0.001
योग निजी भूमि			52	0.897
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			3	0.003
			9	0.002
			12	0.005
				0.001
			42	0.001
				0.004
			287	0.001
				0.004
339	0.004			
14	0.001			
योग शासकीय भूमि			07	0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			59	0.920

पत्र क्र. 4761-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

कमांक- /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - अम्बापाट, प.ह.न.-40, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - अम्बापाट, प.ह.न.-40	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			102	0.001
			103	0.011
			93	0.003
			92	0.006
योग शासकीय भूमि			04	0.021

पत्र क्र. 4721-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक-~~COPI~~अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10, तहसील -खालवा, जिला -खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला-खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			93	0.004
			100/2	0.009
			102/2	0.005
			102/1	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10	84/1	0.003
				0.007
			83/5	0.011
			83/4	0.001
			83/3	0.001
			83/2	0.005
			80/2	0.011
			80/1/1	0.007
			525/1	0.001
			527/1	0.016
			525/2	0.018
			525/3	0.008
			524/2	0.012
			530/1	0.002
			530/2	0.015
			530/3	0.014
			530/4	0.015
			530/5	0.015
			530/6	0.001
			543/3	0.032
			542/1	0.001
			540/1	0.008
				0.029
			542/2	0.006
				0.008
			541	0.001
			537	0.007
			349	0.011
			309	0.021
			311/2	0.008
			341/1	0.010
			341/2	0.006
342	0.014			
343	0.012			
339	0.006			
351/1	0.044			
350/2	0.014			
350/1	0.022			
362	0.024			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10	492	0.028
			363	0.007
			488	0.030
			482	0.006
			83/1	0.003
			486	0.010
			448	0.016
				0.006
			484	0.002
			483	0.002
			450/1	0.007
			449	0.008
			443	0.002
			452	0.042
			453	0.005
			454	0.003
				0.003
			455	0.004
			438/2/2	0.012
			438/1	0.003
			439/2	0.007
			438/2/1	0.011
			439/3	0.009
			439/1	0.008
			435	0.003
			401	0.024
			402/1	0.019
			400/4	0.015
			400/5	0.012
			400/2	0.017
			440	0.001
			393/2/1	0.005
			393/2/2	0.004
			393/1/1	0.003
			393/1/2	0.003
			393/1/3	0.005
391/1	0.008			
391/2	0.008			
390	0.012			
योग निजी भूमि			77	0.840

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			99	0.001
			101	0.001
			103	0.008
			526	0.001
			532	0.001
			539	0.002
			347	0.001
			490	0.001
			489	0.002
			485	0.001
			451	0.001
			395	0.001
			395	0.001
			441/1	0.017
योग शासकीय भूमि			13	0.039
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			90	0.879

पत्र क्र. 4733-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक-0048/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -नीमखेड़ा रै., प.ह.न.-03, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -नीमखेड़ा रै., प.ह.न.-03,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			84/1	0.037
			125/1	0.011
			73/1	0.021
			71/3	0.014
				0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -नीमखेड़ा रै., प.ह.न.-03,	71/6	0.008
			71/4	0.002
			71/5	0.002
			383	0.022
			373/1	0.011
			373/2	0.006
			372/1	0.018
			356/2	0.008
			356/1	0.021
			361	0.008
			360	0.022
			362	0.013
				0.005
			321/2	0.004
			320	0.007
			323	0.020
			365	0.019
			317/1/1	0.003
			314/2	0.015
			311	0.005
312/2	0.002			
योग निजी भूमि			24	0.307

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -नीमखेड़ा रै., प.ह.न.-03,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			82	0.002
			84/2	0.002
			124	0.001
			122	0.009
			114	0.001
			111	0.016
			75	0.005
			368	0.001
			353	0.001
			322	0.001
			318	0.001
योग शासकीय भूमि			11	0.040
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			35	0.347

पत्र क्र. 4739-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक-0034/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -कुंदई माल, प.ह.न.-11, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कुंदई माल, प.ह.न.-11	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			229	0.001
			228	0.019
			251/2	0.004
			251/1	0.020
		254	0.015	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कुंदई माल, प.ह.न.-11	200/2	0.003
			200/3	0.003
			190/2	0.005
			191/1	0.008
			176/1	0.005
			174	0.014
			117/1	0.007
			117/2	0.006
			118/3	0.003
			118/6	0.014
				0.002
			120/3	0.004
			119/2	0.005
			64/1	0.011
			64/3	0.005
			62	0.008
			478	0.013
			479	0.008
			491/1	0.007
			481/1	0.019
			490	0.021
			489	0.005
			496/2	0.013
			525/1	0.028
			526	0.004
				0.001
				0.001
			535/2	0.009
				0.013
			520	0.006
521	0.004			
505	0.005			
421/1	0.006			
420/1	0.014			
419/2	0.005			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - कुंदई माल, प.ह.न.-11	420/2	0.005
			419/1	0.005
			418/1	0.005
			418/4	0.007
			417/2	0.001
			397/2	0.004
			397/1	0.001
			394/4	0.006
			394/5/1	0.003
			394/5/2	0.006
			394/1/1	0.003
			394/1/2	0.005
			394/3	0.012
			535/1	0.004
			536	0.010
			515	0.003
			514	0.001
			507	0.011
			413	0.001
			412/1	0.001
			412/2	0.003
			412/3	0.003
			411/3	0.003
411/4	0.002			
408/5	0.003			
408/4	0.013			
408/3	0.011			
योग निजी भूमि			63	0.476

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कुंदई माल, प.ह.न.-11	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			274	0.001
			216	0.001
			200/1	0.007
			180	0.001
			172	0.011
			140	0.001
			494	0.001
			512	0.001
			422	0.001
			516	0.001
			513	0.001
			512	0.002
			407	0.001
योग शासकीय भूमि			13	0.030
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			76	0.506

पत्र क्र. 4742-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक-०००४/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मल्हारगढ़, प.ह.न.-18/42, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मल्हारगढ़, प.ह.न.-18/42	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			295	0.001
			296/1	0.011
			304/2	0.005
			290/2	0.001
			304/3	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मल्हारगढ़, प.इ.न.-18/42	287/2	0.013
			284/2	0.005
			283	0.001
			280/6	0.003
			280/5	0.003
			280/4	0.003
			279	0.001
			268/1	0.013
			269	0.007
			256	0.007
			247/3	0.001
			248/1	0.001
			2	0.009
			27	0.002
			24	0.003
				0.008
			28/1	0.008
			35/2	0.005
				0.001
			36	0.004
			49	0.001
			48/2	0.008
			48/1	0.012
			52/2	0.010
70/1	0.006			
69/2	0.006			
69/1	0.003			
68/2	0.001			
योग निजी भूमि			31	0.168

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मल्हारगढ़, प.ह.न.-18/42	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			305	0.001
			306	0.001
			273	0.001
			270	0.001
			246	0.001
			1	0.001
			19	0.001
			29	0.001
			45	0.001
			62	0.001
योग शासकीय भूमि			10	0.010
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)				

पत्र क्र. 4745-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक-0056/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 2 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -रजूर माल, प.ह.न.-03, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रजूर माल, प.ह.न.-03	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			6/1	0.014
			15/2	0.009
			15/1	0.003
			14/1	0.004
		13/2	0.002	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रजूर माल, प.ह.न.-03	13/1	0.002
			12	0.009
			11	0.003
			43/1	0.002
			43/2	0.003
			44	0.004
			45	0.005
			46/2	0.004
			46/3	0.005
			46/1	0.005
			149	0.001
			148	0.005
				0.004
			55	0.002
			56	0.009
			59/1	0.004
			59/2	0.004
			58/7	0.002
			58/6	0.002
			58/4	0.002
			58/5	0.002
			67	0.011
			70	0.010
			71	0.009
			77/3	0.001
			72/2	0.002
			77/1	0.002
				0.002
			77/2	0.006
			84/2	0.013
			103	0.003
			556/2	0.005
104	0.003			
99	0.009			
95	0.001			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रजूर माल, प.ह.न.-03	557	0.009
			561	0.001
			555	0.005
			554	0.023
			575	0.015
			638/1	0.001
			639/1	0.011
			639/2	0.004
			640	0.003
			381	0.004
			382	0.008
			385	0.001
			405/1	0.006
			384/2	0.003
			405/2	0.002
			404	0.006
			403	0.001
			397	0.002
			401	0.007
			399/2	0.005
			464/1	0.007
			464/2	0.001
			467/2	0.005
			467/1	0.007
			478	0.001
			475/1	0.001
			475/2	0.002
			475/3	0.006
			480/1	0.001
			475/4	0.004
			479/4	0.002
			835	0.002
836	0.009			
844/2	0.004			
844/3	0.004			
844/4	0.004			
844/5	0.004			
योग निजी भूमि			75	0.369

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रजूर माल, प.ह.न.-03	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			50	0.001
			120	0.002
			100	0.009
			569	0.002
			574	0.001
			573	0.002
			578	0.001
			579	0.004
			580	0.014
			581	0.015
			582	0.015
			631	0.002
			632	0.015
			633	0.017
			634	0.001
			630	0.006
			635	0.001
			636	0.009
			637	0.005
			402	0.001
			465	0.001
			468	0.001
			831	0.005
				0.026
839	0.005			
837	0.005			
योग शासकीय भूमि			25	0.166
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			100	0.535

पत्र क्र. 4736-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक-0017/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 4 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - जामन्या खुर्द, प.ह.नं.- 27, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - जामन्या खुर्द, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			114/2	0.008
			115/1	0.003
			114/1	0.005
			116/2/2	0.005
		118/1	0.010	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – जामन्या खुर्द, प.ह.नं.- 27	118/2	0.003
			118/3	0.004
			135	0.011
			134/1	0.007
				0.002
			134/2	0.011
			127/1/1	0.015
			128/1	0.004
			128/3/1	0.009
			128/3/2	0.006
			128/4	0.002
			129/1	0.011
			129/2	0.002
			92	0.002
			95/1	0.007
			95/2	0.006
			95/3	0.005
97/3	0.012			
योग निजी भूमि			22	0.150
खण्डवा	खालवा	ग्राम – जामन्या खुर्द, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			109	0.001
			113	0.005
			117	0.008
			125	0.001
			96	0.001
योग शासकीय भूमि			05	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			27	0.166

पत्र क्र. 4730-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक-0058/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -खालवा, प.ह.न.-19, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -खालवा, प.ह.न.-19	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			197/2	0.014
			197/1	0.027
			198/2	0.014
			198/3	0.013
		198/4	0.017	

		प.ह.न.-19		
			191/1	0.022
			207	0.032
			209/1	0.012
			209/2	0.006
			209/3	0.006
			210/1	0.008
				0.003
				0.003
			210/2	0.010
				0.003
			210/3	0.009
			210/4	0.010
			211/1	0.007
			211/2	0.010
			186/2	0.003
			185/3	0.005
		योग निजी भूमि	20	0.274
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			206	0.001
			214	0.002
		योग शासकीय भूमि	02	0.003
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	22	0.277

पत्र क्र. 4727-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"

[नियम- 5 का उपनियम (2)]

क्रमांक-00/3/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			47/1	0.024
			47/2	0.021
			62	0.036
			54	0.008
		55/1	0.049	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	56/1	0.017
			56/2	0.015
			56/3	0.015
			57/1	0.014
			57/2	0.007
			57/9	0.006
			57/3	0.002
			57/4/2	0.011
			57/6	0.011
			57/7	0.006
			117/2	0.021
			115/6	0.006
			115/2	0.019
			115/7	0.034
			132/1	0.007
			133/1	0.012
			135/2	0.006
			142/2	0.026
				0.011
				0.007
			142/3	0.007
			142/5	0.010
			142/4	0.011
			141/1/2	0.013
			141/1/3	0.012
			141/2	0.013
			140/4	0.007
			258/1	0.015
			259/1	0.023
			264/1	0.020
			264/3	0.013
			264/4	0.014
			266	0.023
			267/1	0.021
268/2	0.038			
139/1	0.008			
139/2	0.008			
योग निजी भूमि			40	0.647
खण्डवा	खालवा	ग्राम - चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			116	0.002
			136	0.002
			137	0.016
			134	0.002
योग शासकीय भूमि			04	0.022
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			44	0.669

पत्र क्र. 4724-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक-0049/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 व 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -जूनापानी, प.ह.न.-17, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जूनापानी, प.ह.न.-17	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			22	0.003
			27	0.015
			240	0.006
			250	0.008
		249	0.002	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जूनापानी, प.ह.न.-17	251	0.004
			252	0.003
			253	0.005
			598	0.006
			606	0.007
			597	0.007
			607	0.003
			605	0.005
			618	0.008
			616	0.005
			615	0.003
			631	0.001
			632	0.008
			549	0.006
			550	0.003
				0.002
			548	0.004
			531	0.003
			532	0.003
			533	0.003
			535	0.005
			519	0.003
			518	0.006
517	0.003			
511/7	0.002			
योग निजी भूमि			29	0.142

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जूनापानी, प.ह.न.-17	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			23	0.001
			24	0.001
			26	0.001
			241	0.001
			620	0.001
			530	0.001
			534	0.009
			581	0.001
योग शासकीय भूमि			08	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			37	0.158

पत्र क्र. 4709-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक-0030/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - अशरफ नगर, प.ह.नं.- 08, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला-खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - अशरफ नगर, प.ह.नं.- 08	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			3/1	0.003
			3/2	0.023
			3/3	0.016
			3/4	0.007
		5	0.013	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - अशरफ नगर, प.ह.नं.- 08	144	0.002
			146	0.010
			148/1	0.002
			149/5	
			148/3	0.004
			149/1	
			148/4	0.005
			149/2	
			148/5	0.002
			149/3	
			150/2	0.008
			151/2	0.003
			152/2	0.002
			154/2	0.018
			154/1	0.009
			154/3	0.008
			109	0.001
			90	0.030
			88	0.021
				0.004
			258/3	0.016
			261/1	0.014
			125/7	0.009
			125/1	0.005
			125/3	0.005
			125/4	0.004
			211	0.008
			210/1	0.010
			213/1/2/1	0.007
			213/1/2	0.006
			213/1/1	0.001
			213/3	0.001
215/3	0.009			
215/4	0.005			
225/6	0.009			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - अशरफ नगर, प.ह.नं.- 08	225/5	0.010
			225/4	0.010
			225/3	0.006
			225/2	0.006
			225/1	0.002
			227/1	0.006
योग निजी भूमि			45	0.340
खण्डवा	खालवा	ग्राम - अशरफ नगर, प.ह.नं.- 08	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			4	0.001
			114	0.002
			145	0.001
			113	0.006
			112	0.004
			153	0.001
			257	0.001
			260	0.001
			128	0.014
			208	0.001
			299	0.001
योग शासकीय भूमि			11	0.033
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			56	0.373

पत्र क्र. 4706-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक-0045अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मीरपुर, प.ह.न.-08, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मीरपुर, प.ह.न.-08	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			30/1	0.003
				0.029
			29/1	0.003
0.011				

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मीरपुर, प.ह.न.-08	29/2	0.002
				0.011
			29/3	0.003
				0.012
			29/4	0.005
				0.009
			29/5	0.001
				0.005
			28/3	0.003
			28/2	0.003
			28/1	0.004
			27/1	0.004
			27/2	0.005
			7	0.004
			8/2	0.008
			10/4	0.004
			10/2	0.003
			1/1	0.007
			1/2	0.012
			1/3	0.012
			1/4	0.012
			48/3	0.003
			48/2	0.016
			48/1	0.013
			48/4	0.014
			45	0.032
			141	0.006
	0.007			
142	0.004			
	0.005			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मीरपुर, प.ह.न.-08	143/1/1	0.003
				0.004
			144/2/1	0.001
			143/1/2	0.008
				0.007
			144/2/2	0.020
			144/1/2	0.004
			152	0.013
			155/2	0.023
			155/1	0.013
			156/2	0.005
			156/5	0.015
			156/3	0.009
			156/4	0.009
			144/3	0.005
			144/4	0.002
			146/5	0.001
			146/6	0.002
			147	0.007
			174	0.001
			173	0.019
			172/1	0.011
			170/1	0.004
172/2	0.001			
170/2	0.012			
165	0.016			
164	0.003			
166	0.006			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मीरपुर, प.ह.न.-08	163/1	0.004
			163/2	0.006
			163/3	0.014
			298/1	0.012
			298/6	0.003
योग निजी भूमि			57	0.538
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मीरपुर, प.ह.न.-08	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			9	0.001
			31	0.005
			38	0.001
			153	0.001
				0.001
			145	0.003
				0.001
148	0.002			
157	0.001			
योग शासकीय भूमि			07	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			64	0.554

पत्र क्र. 4718-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक-20557अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -ढकोची, प.ह.न.-40, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -ढकोची, प.ह.न.-40	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			19/4	0.004
			20/4	0.009
			37	0.017
				0.009
34	0.007			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -ढकोची, प.ह.न.-40	33/3	0.010
			264/1	0.010
			264/2	0.002
			264/4	0.004
			264/5	0.003
			264/6	0.003
			264/8	0.003
			264/9	0.002
			257	0.008
			283/2	0.017
			283/4	0.001
			322	0.019
			331	0.008
			330	0.011
			336/1	0.008
			337/6	0.009
			337/8	0.002
			338/6	0.004
			338/5	0.006
			342/1	0.023
360/1	0.001			
365/1	0.012			
367/1	0.003			
61	0.001			
62/4	0.008			
योग निजी भूमि			29	0.224

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -ढकोची, प.ह.न.-40	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			6	0.003
			258	0.001
			281	0.001
			359	0.001
			361	0.001
			310	0.001
			73	0.001
योग शासकीय भूमि			07	0.009
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			36	0.233

पत्र क्र. 4715-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**[नियम- 5 का उपनियम (2)]**

कमांक-0031/अ-50/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 तथा आर.एम.-2 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -अहमद नगर प.ह.न.-17, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -अहमद नगर प.ह.न.-17	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			40	0.008
			41	0.041
			42	0.007
			44	0.001
		52	0.009	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —अहमद नगर प.ह.न.—17	45	0.020
			265	0.001
			53	0.007
				0.041
			262/2	0.018
			201/4	0.083
			56/3	0.032
			201/1	0.002
			203/1/1	0.014
			203/1/2	0.014
			203/2	0.031
				0.012
			204	0.046
			253	0.002
				0.001
			250/1	0.007
				0.040
			251	0.018
				0.019
				245/1
	245/2	0.015		
	248	0.020		
योग निजी भूमि			22	0.542
खण्डवा	खालवा	ग्राम —अहमद नगर प.ह.न.—17	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			272	0.001
				0.003
			43	0.001
				0.026
			51	0.001
				0.003
			64	0.047
				0.004
			54	0.007
				0.002
			55	0.002
			202	0.001
	0.001			
205	0.002			
खण्डवा	खालवा	ग्राम —अहमद नगर प.ह.न.—17	208	0.003
				0.001
			252	0.003
				0.001
			206	0.005
	0.011			
	247	0.031		
योग शासकीय भूमि			12	0.154
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			34	0.696

पत्र क्र. 4748-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

कमांक-00357अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.-11, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.-11	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			301/1	0.015
			299/3	0.004
			299/2	0.004
			299/1	0.004
		188	0.011	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.-11	189/1	0.005
				0.005
			192/1	0.013
			192/2	0.011
			191/3	0.007
			194/1	0.001
			196/1	0.011
			286	0.003
			285/1	0.007
			308/1	0.002
			320/3/1	0.003
			320/3/2	0.006
			320/2	0.007
			322/2	0.001
			322/3	0.015
			322/4	0.005
			323/4	0.004
			323/1	0.006
			323/2	0.003
			329/2	0.005
			378/1	0.017
			378/2	0.010
			369/1	0.004
			369/3	0.002
			368/2	0.011
			368/1	0.010
			367/1	0.003
			367/3	0.001
			355	0.011
			357/1	0.005
			357/2	0.001
				0.007
357/3	0.003			
358/2	0.007			
350/1	0.004			
योग निजी भूमि			38	0.254

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.-11	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			300	0.001
			193	0.001
			198	0.001
			197	0.001
			195	0.001
			293	0.001
			311	0.001
			334	0.001
			366	0.001
			354	0.001
			363	0.001
			351	0.001
योग शासकीय भूमि			12	0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			50	0.266

पत्र क्र. 4751-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- 'ख'

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक-०००१/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -गुलरढाना, प.ह.न.-43, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -गुलरढाना, प.ह.न.-43	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			362/2/1	0.013
			362/2/2	0.002
			362/1	0.014
			361/1	0.006
		360	0.017	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -गुलरढाना, प.ह.न.-43	359/3	0.009
			359/4	0.006
			359/5	0.002
			359/2	0.014
				0.020
			374/4	0.019
			374/3	0.001
			375	0.010
			382/4	0.017
			381/2	0.013
			381/1	0.010
			386/1	0.007
			383/4	0.002
			385/1	0.012
			385/2	0.017
			385/3	0.006
			377	0.002
			355/2	0.006
355/3	0.008			
योग निजी भूमि			23	0.233
खण्डवा	खालवा	ग्राम -गुलरढाना, प.ह.न.-43	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			384	0.003
			357	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.004
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			25	0.237

पत्र क्र. 4754-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक-००६१/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा मार्डक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 2 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 व 04 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -खारकलां, प.ह.न.-24, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -खारकलां, प.ह.न.-24	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			726	0.008
			725/5	0.001
			347	0.010
			375	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —खारकलां, प.ह.न.—24	377/2/1	0.001
				0.006
				0.004
			378	0.005
				0.006
			380	0.006
				0.003
			388/2	0.020
			395	0.012
			394	0.017
			393	0.001
			403/1	0.005
			403/3	0.007
			403/2	0.004
			403/4	0.003
			405/2	0.006
			405/1	0.010
			290/3	0.009
			408/1	0.006
			377/2/2	0.003
			379	0.003
			382	0.009
			361	0.002
			439/3	0.006
			440	0.011
			448	0.001
			447/4	0.006
			447/1	0.005
योग निजी भूमि			28	0.203

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -खारकलां, प.ह.न.-24	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			727	0.001
			350	0.001
			349	0.001
			369	0.001
			370	0.006
			367	0.001
			383	0.001
			326	0.001
			404	0.001
			289	0.001
			383	0.001
योग शासकीय भूमि			11	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			39	0.219

पत्र क्र. 4757-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

कमांक- /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			23/1	0.019
			23/2	0.018
			23/3	0.018
			87/3	0.022
		86	0.001	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जामघड़, प.ह.न.-43	85	0.008
			101/2/2	0.024
			101/3/1	0.009
			101/3/2	0.007
			109/1	0.010
				0.003
				0.005
			110	0.018
			114	0.018
			189	0.008
			190/2	0.022
			188/2	0.012
			190/1	0.003
			188/1	0.009
				0.002
			169	0.006
			173	0.007
			172	0.005
			176	0.003
			177	0.002
			162	0.004
			161	0.009
			160/1	0.008
			391	0.012
			160/2	0.002
			420	0.005
			419/2	0.003
			419/1	0.003
			418	0.007
			417	0.009
			416	0.007
			423/1	0.006
423/2	0.004			
415/2	0.009			
415/4	0.016			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43	431/1	0.018
			493/1/1	0.002
			493/1/2	0.003
			493/2	0.014
			494	0.001
			497	0.004
			496	0.014
				0.003
				0.008
			486	0.018
			480	0.007
			469	0.013
			465	0.006
			463	0.008
			487/2	0.004
			487/1	0.003
			489	0.004
			109/2	0.004
			108	0.005
			107	0.004
			75	0.003
			73	0.004
			71	0.009
			212/1	0.012
			216/4	0.001
			216/5	0.008
			216/1	0.006
			214/1	0.016
			214/4	0.005
			386/1/1	0.007
			384/1	0.003
			383	0.017
384/2	0.022			
382/1	0.003			
385/3	0.017			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43	385/4	0.010
			527	0.003
			525	0.006
			524	0.027
			597	0.002
			614/1	0.017
			614/2	0.012
			614/3	0.004
योग निजी भूमि			78	0.720
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.004
			201	0.012
			183	0.014
				0.025
			204	0.010
			205	0.001
			163	0.001
			165	0.001
			392	0.001
			437	0.001
			468	0.001
			686	0.002
			70	0.001
			69	0.006
			64	0.001
			63	0.004
			58	0.002
			57	0.016
			213	0.001
			526	0.004
			532	0.016
533	0.005			
615	0.002			
योग शासकीय भूमि			22	0.131
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			100	0.851

पत्र क्र. 4760-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

कमांक- /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 4 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - खेरी, प.ह.नं.- 27, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - खेरी, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			51/5	0.003
			51/2	0.019
			51/1	0.011
			44	0.009
45/3	0.018			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - खेरी, प.ह.नं.- 27	45/1	0.009
			40	0.017
			18	0.016
				0.002
			179/1	0.009
			179/2	0.007
				0.003
			179/3	0.007
				0.006
			180/1	0.002
			180/3	0.002
			185/2/1	0.003
			185/2/2	0.002
			184	0.002
			215/2	0.003
			218	0.002
			219/2	0.011
			220/1	0.004
			230	0.005
			229/1	0.004
			229/2	0.005
			228	0.001
			245	0.005
			244	0.002
			246	0.006
				0.001
			251	0.009
			254/1	0.001
			127/1/1	0.001
			126/1	0.003
126/2	0.002			
126/3	0.004			
21	0.001			
6	0.005			
3	0.015			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - खेरी, प.ह.नं.- 27	69/1	0.002
			72/1	0.001
			72/3	0.006
			78/1	0.004
			88	0.009
			97/1	0.006
			97/2	0.002
			98/2	0.006
			98/3	0.005
			101/1	0.004
			101/2	0.002
			103/2	0.006
			110/1	0.010
			113/1	0.007
113/2	0.003			
योग निजी भूमि			51	0.310
खण्डवा	खालवा	ग्राम - खेरी, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			50	0.002
			42	0.005
				0.001
			41	0.007
			39	0.028
				0.016
			30	0.002
			31	0.004
			32	0.001
			19	0.017
				0.006
			13	0.014
			175	0.002
			176	0.001
			216	0.001
250	0.001			
253	0.004			
48	0.015			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - खेरी, प.ह.नं.- 27	49	0.001
			124	0.001
			9	0.001
			8/1	0.006
			1	0.001
			181	0.001
			60	0.022
			63	0.001
			74	0.001
			91	0.001
योग शासकीय भूमि			25	0.163
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			76	0.473

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्र. एफ. 01-03-2021-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला बैतूल के वर्तमान उपखण्ड मुलताई की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन उपखण्ड आमला सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव लिखित में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

अनु- क्र.	विद्यमान संभाग/जिले/ उप-खंड/तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उप-खंड/ तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उप-खंड/ तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् संभाग/ जिले/उप-खंड/ तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण	परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/जिले/उप-खंड/ तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उपखण्ड मुलताई (मुख्यालय मुलताई)	तहसील आमला के पटवारी हल्का नंबर 01 से 70 तक अपवर्जित होंगे.	उपखण्ड मुलताई (मुख्यालय मुलताई)	उपखण्ड मुलताई में तहसील मुलताई के पटवारी हल्का नंबर 01 से 69 एवं तहसील प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का नंबर 70 से 133 कुल 133 प. ह. समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—जिला छिन्दवाड़ा की सीमा. पूर्व में—महाराष्ट्र राज्य की सीमा. दक्षिण में—महाराष्ट्र राज्य की सीमा. पश्चिम में—तहसील आमला की सीमा.
2.			उपखण्ड आमला (मुख्यालय आमला)	उपखण्ड आमला में तहसील आमला के पटवारी हल्का नंबर 01 से 70 तक समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—तहसील घोड़ाडोंगरी की सीमा. पूर्व में—तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा की सीमा. दक्षिण में—तहसील मुलताई की सीमा. पश्चिम में—तहसील बैतूल की सीमा.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ. 2-6-2021-सात-शा-7.—शुद्धि-पत्र “मध्यप्रदेश राजपत्र” दिनांक 12 अगस्त, 2022 भाग 4(ग), पृष्ठ क्रमांक 603, लगायत 609 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व मण्डल की एकल सदस्यीय तथा खंडपीठ की अधिकारिता) नियम, 2021 के हिन्दी अनुवाद में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित शब्द के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द पढ़ा जाए :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द	राजपत्र का पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आया है	शुद्ध शब्द जो कि पढ़ा जाए
(1)	(2)	(3)
	पृष्ठ	पंक्ति
खंड पाठ	603	10
		खंड पीठ

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रायकवार, अवर सचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी,
अनुभाग-बागली, जिला-देवास, मध्यप्रदेश

बागली, दिनांक 24 नवम्बर 2022

प्ररूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3360-रीडर-1-2022-क्र. 0030-अ-82-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बी. पी. टी. 1 के पम्प हाऊस क्रमांक 3 तक बिछाई जाने वाली जी. एम. 1 भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बिसाली, प. ह. नं. 62, तहसील उदयनगर, जिला देवास, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8, सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
देवास	उदयनगर	ग्राम-बिसाली प. ह. नं.-62	80/2	0.079
कुल योग			01	0.079

एस. आर. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).